सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दि0– 08.10.10 की कार्य सूची ।

मद सं0:–1 सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 26.06.10 में पारित आदेषों का अनुपालन निम्नवत किया गया।

1. मद सं0–01 में स0प0प्रा0, देहरादून की बैठक दिनांक 12.11.09 के मद सं0–1 से 36 तक, स0प0 प्रा0 देहरादून की बैठक दिनांक 27.12.08 की कार्यवाही की पुष्टि, स0प0 प्रा0 द्वारा परिचालन पद्वति से पारित आदेष, सचिव, स0प0 प्रा0 द्वारा प्रतिनिधायन के अधिकारों के अन्तर्गत पारित आदेष, जनभार वाहन के स्थाई परमिट, जनभार वाहन के राष्ट्रीय परमिट, मैक्सी कैब/टैक्सी कैब/यूटिलिटी/सवारी गाडी/निजी सवारी गाडी/ठेका गाडी के स्थाई परमिट, स्थाई सवारी गाडी के नवीनीकरण किये गये परमिट, लोअर माडल गाडी के प्रतिस्थापन के आदेष, श्रीमती निषा मस्ताना की वाहन सं0–यूके07टीए–2031 को जारी आटोरिक्षा परमिट सं0–6615 का अनुमोदन, स्थाई ठेका गाडी/टैक्सी कैब/मैक्सी कैब/यूटिलिटी वाहनों को देहरादून–पौडी रीजन का परमिट जारी करने हेतु अधिकार प्रदत्त करने के आदेष, 07–08 सीटर यूरो–3, न्यूनतम दो सिलेण्डर वाली वाहनों को ठेका गाडी के रुप में संचालित करने के सम्बन्ध में आदेष, विभिन्न केन्द्रों के स्थाई आटोरिक्षा/विक्रम टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में आदेष, डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी नगर बस मार्ग का विस्तार धर्मपुर से माता मंदिर–सरस्वती बिहार–चाणक्यपुरी–दून विष्वविद्यालय तक करने के आदेष, प्रेमनगर–परवल मार्ग का विस्तार प्रेमनगर से शुक्लापुर–अम्बीवाला–आरकेडिया ग्रान्ट–मिठीबेरी तथा ठाकुरपुरा–लक्ष्मीपुर–ष्यामपुर तक करने के आदेष, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.11.09 के संकल्प सं0–01 में पारित आदेषों का अनुमोदन किया गया।

कुलडी–लक्सर–रुडकी मार्ग का विस्तार कुलडी से गंगाधाट–बालावाली तक करने के आदेष, गुरुकुल नारसन–मंगलौर मार्ग का विस्तार रुडकी तक करने के सम्बन्ध में किसान स्वतःषासित को0 सोसाइटी मंडावली जिला हरिद्वार के प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में पारित आदेष, बहादराबाद–पिरान कलियर रुडकी मार्ग का विस्तार गढमीर होते हुऐ रोषनाबाद तक करने के आदेष, कौलागढ–विधानसभा मार्ग का विस्तार ओएनजीसी चौक से राजेन्द्र नगर–किषन नगर होते हुऐ कनाट प्लेस–धण्टाघर–प्रिन्सचौक–रेलवे स्टेषन तक करने के आदेष, थाना कैन्ट–आईएसबीटी–रिस्पना–परेड ग्राउन्ड नगर बस मार्ग का विस्तार थाना कैन्ट से सप्लाई डिपो होते हुऐ अनारवाला चौक तक करने के सम्बन्ध में आदेष, नवनिर्मित मोटर मार्ग हनुमान चटटी–जानकी चटटी, तेगड–आछरीखुण्ड, गेहड–देवगढी–मोलधार हल्का वाहन मार्ग, बडियारगढ–धौडगी–सौंराखाल मोटर मार्ग , सुपाण–धारी हल्का वाहन मार्ग, स्यालकुण्ड–मगरो–कोटी कच्चा मोटर मार्ग, पी0टी0 रेाड 27 किमी0 से नेल्डा कच्चा मोटर मार्ग हल्के वाहनों हेतु, नई टिहरी से बुढोगी कच्चा मोटर मार्ग, नई टिहरी से पांगरखाल, नागणी से भादूसैंण, चांमनी–सेमल्टा–बीड, थान–साबली–बमुण्ड, नागणी–जखोत–सुदाडा, मण्डाई–जौल, सुरसिंगधार–ज्ञानसू, खालसी(मल्ली बैण्ड) से मणी गांव तक यातायात खोलने तथा मार्ग का पृष्ठांकन मार्ग सूची सं01 तथा 4 में करने, मुगराली से झीवाली, कुराडी गांव से बगडारा, रोडिया से अगरोडा(महावि0), पुजार गांव–बनकुण्डाली तथा पीपलडाली से सांदना मोटर मार्ग यातायात के लिये खोलने तथा मार्ग का पृष्ठांकन मार्ग सूची सं0 1 में करने के आदेष, रुडकी से पिरान कलियर मानुभास–मजाहदपुर–बन्दरजूड मार्ग स्टेज कैरेज मिनी बसों के संचालन हेतु वर्गीकृत/निर्मित करने के सम्बन्ध में आदेष, मसूरी नगर में सिटी बस मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध तथा नई टिहरी में कोटी कालोनी–भगीरथीपुरम–बौराडी–मौलधार–एम ब्लाक–एफ ब्लाक–एच

ब्लाक–जे ब्लाक–के ब्लाक–नई टिहरी–कोर्ट कम्पाउन्ड से बादषाही थाल–चम्बा मार्ग पर सिटी बस परमिटों हेतु 2 स्थाई परमिट स्वीकृत करने के आदेष, 07–08 सीटर तक की हल्की वाहनों को ठेका गाडी के रुप में संचालन करने हेतु मार्ग वर्गीकृत/निर्मित करने के सम्बन्ध में आदेष, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर याचिका सं0–749/09 व 785/09 में पारित आदेष दिनांक 21.08.09 के अनुपालन में देहरादून–डोईवाला मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में विचार, मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत दुर्धटनाग्रस्त वाहन सं0–यूपी07सी–3594 के परमिट सं0–पीएसटीपी 2460 को निरस्त करने के सम्बन्ध में आदेष, विभिन्न माध्यमों से षिकायत प्राप्त होने पर टैम्पो वाहनों के विरुद्व, एक ही अभियोग में दो अथवा दो से अधिक चालान पाये जाने पर वाहनों के परमिट निलम्बन अथवा निलम्बन अवधि का प्रषमन शुल्क निर्धारित करने के आदेष, उत्तराखण्ड राज्य बनने के फलस्वरुप छूटमलपुर केन्द्र के उत्तर प्रदेष राज्य में चले जाने के कारण छुटमलपुर डिपो के 5 परमिट धारकों को रुडकी केन्द्र का विक्रम टैम्पो परमिट जारी करने के आदेष, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में वाद सं0–1668/एमएस/09 में पारित आदेषों के अनुपालन में प्रस्तुत 07 टैम्पो परमिटों के नवीनीकरण के प्रार्थनापत्रों पर आदेष, टीजीएमओसी ऋषिकेष के अधीन संचालित बसों के 9 चालानों में पारित आदेष, अपील सं0– 21/07 तथा 22/07 में मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेषों के अनुपालन में विक्रम टैम्पो परमिट सं0–1733 व 1029 का नवीनीकरण, विक्रम टैम्पो/आटो के परमिटों के नवीनीकरण हेतु विलम्ब से प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर आदेष, श्री कमल नेत्र बख्शी की आटोरिक्षा वाहन सं0–यूए07सी–7687 को ऋषिकेष केन्द्र का आटोरिक्षा परमिट स्वीकृत करने के आदेष, श्री कृष्ण कुमार एवं कुमारी दीपा आनन्द को देहरादून

केन्द्र का 04 पहिए वाली यूरो–3 मानक वाली सात सीटर दो सिलेण्डर वाली वाहन का परमिट स्वीकृत करने के आदेष, ऋषिकेष केन्द्र से संचालित आटोरिक्षा वाहनों पर संचालन 16 किमी0 से 25 किमी0 अर्धव्यास किये जाने के आदेष, आटोरिक्षा की आयुसीमा डीजल व पेट्रोल की क्रमषः 10 वर्ष व 12 वर्ष करने के सम्बन्ध में आदेष, प्रेमनगर से संचालित जीप ट्रैकर वाहनों को स्टैज कैरेज के रुप में संचालित करने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में दायर याचिका सं0–1750, 1751, 1752, 1753, 1754/09 में आदेष पारित होने तक मामला स्थगित करने, श्रीमती श्वेता सिंघल को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.08 में स्वीकृत देहरादून–डोईवाला मार्ग का स्थाई परमिट प्राप्त करने के लिये समय बढाने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थनापत्र को अस्वीकृत करने के आदेष, अपील सं0–03/07 में मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड के आदेष दिनांक 08.10.07 के अनुपालन में श्री अमित कुमार शर्मा को पुरोहित सेवा आश्रम हरिद्वार रोषनाबाद मार्ग का स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के आदेष, लक्सर–भूरनी–ढाढेकी–गोवर्धनपुर–डेरिया–खानपुर–दल्लावाला मार्ग वर्गीकृत/निर्मित करने के सम्बन्ध में आदेष, छोटे लाल के आटोरिक्षा परमिट सं0–2765 के नवीनीकरण के प्रार्थनापत्र को अस्वीकृत करने के आदेष, श्री पंकज पाथरी को ऋषिकेष केन्द्र का आटोरिक्षा परमिट स्वीकृत करने के आदेष सम्मिलित हैं।

2. मद सं0–02 में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्वति से पारित श्री हद्रयेष कुमार शर्मा, श्री हरीष चन्द्र, दीपक जैन, श्री चन्द्रप्रकाष व श्री चमन लाल के प्रार्थनापत्रों पर पारित आदेषों का अनुमोदन किया जाना था।

संकल्प सं0–02 के अन्तर्गत सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेषों का अनुमोदन किया गया।

3. मद सं0–03 के अन्तर्गत दिनांक 01.11.09 से दिनांक 31.05.10 तक मो0 गा0 अधि0 1988 की धारा–87 व 88(8) के अन्तर्गत जारी सवारी गाडी, ठेका गाडी, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब, जनभार वाहन के 1569 अस्थाई परमिटों, शासन की उदारनीति के अन्तर्गत जारी किये गये जनभार वाहन के 939 स्थाई परमिट, भार वाहन के 329 स्थाई राष्ट्रीय परमिट, मैक्सी कैब के 591 स्थाई परमिट, टैक्सी कैब के 134 स्थाई परमिट, यूटिलिटी के 242 स्थाई परमिट, सवारी गाडी के पर्वतीय मार्गो के 169 स्थाई परमिट, स्कूल बसों व अन्य संस्थाओं को निजी सवारी गाडी के 116 स्थाई परमिट तथा ठेका गाडी के 164 स्थाई परमिट तथा सवारी गाडी के 23 स्थाई परमिटों के नवीनीकरण का अनुमोदन किया जाना था।

संकल्प सं0–03 के अन्तर्गत उ0 प्र0 मो0 गा0नियमावली 1998 के नियम 57 में दिये गये प्राविधानोनुसार सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा परिचालन पद्वति से पारित आदेष दिनांक 05.08.04 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मद में जारी किये गये सभी प्रकार के परमिटों के आदेषों का अनुमोदन किया गया।

4. मद सं0–4 में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा याचिका सं0–316/01 श्री अरुण कुमार शर्मा तथा अन्य में पारित आदेष दिनांक 20.05.10 के अनुपालन में अध्यक्ष, विक्रम जनकल्याण समिति, इन्दिरा मार्केट, देहरादून के प्रत्यावेदन दिनांक 31.05.10 पर विचार किया जाना था।

संकल्प सं0–4 में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में एलपीजी चालित विक्रम उपलब्ध नहीं होने के कारण डीजल चालित यूरो–02/03 वाहनों को इस शर्त के साथ प्रतिस्थापन करने के आदेष पारित किये गये कि भविष्य में एलपीजी चालित विक्रम उपलब्ध होने पर इन वाहनों का प्रतिस्थापन एलपीजी चालित वाहनों से करना होगा।

5. मद सं0–5 में नगर बसों के थाना कैन्ट–आईएसबीटी–रिस्पना पुल–परेड ग्राउन्ड, डी0एल0रोड'–डिफेन्स कालोनी, परेड ग्राउन्ड–प्रेमनगर–परवल, कौलागढ–विधानसभा, बंजारावाला–कारगी–गुलरधाटी, पुरकुल गांव–मोथरोवाला, एमडीडीए–डाट मंदिर, परेड ग्राउन्ड–नया गांव–पेलियो, प्रेमनगर–चौकी धौलास, आईएसबीटी–सहस्त्रधारा, राजपुर–क्लेमेन्टाउन, परेड ग्राउन्ड–सेलाकुई मागों हेतु स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प सं0–5 द्वारा थाना कैन्ट–परेड ग्राउन्ड वाया जीएमएस रोड–आईएसबीटी–रिस्पना पुल पर 5, डी0एल0रोड–डिफेन्सा कालोनी मार्ग पर 5, कौलागढ–विधानसभा मार्ग पर 4, बंजारावाला–कारगी–गुलरधाटी मार्ग पर 2, पुरकुल गांव–मोथरोवाला मार्ग पर 3, एमडीडीए–डाट मंदिर मार्ग पर 3, परेड ग्राउन्ड–नयागांव मार्ग पर 1 स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किये गये।

6. मद सं0–6 में मसूरी नगर में नगर बस सेवा मार्ग निर्धारित करने तथा परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प सं0–6 में प्राधिकरण द्वारा निम्न दो मागों को मसूरी में नगर बस सेवा चलाने हेतु क श्रेणी में वर्गीकृत करते हुऐ मोटर गाडी अधिनियम– 1988 की धारा–68(3) (ग–क) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजने के आदेष पारित किये गये।

1– झडीपानी से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रषासनिक अकादमी– किंक्रेग– पिक्चर पैलेस मार्ग–21 किमी0

2– सुआखोली से झडीपानी वाया टिहरी बाईपास मार्ग–24 किमी0

7. मद सं0–7(अ) के अन्तर्गत देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग के परमिटों को नगर बस परमिटों में परिवर्तित करने तथा 7(ब) के अन्तर्गत देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग का विस्तार मालदेवता से पीपीसीएल तक करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण के समक्ष विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था	संकल्प सं0–7(अ) में देहरादून–रायपुर –मालदेवता मार्ग को नगर बस परमिटों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा मार्ग का सर्वेक्षण संयुक्त सर्वेक्षण समिति से कराने के आदेष पारित किये गये। 7(ब) में देहरादून–रायपुर – मालदेवता स्टैज कैरेज मार्ग का विस्तार मालदेवता से पीपीसीएल तक पृष्ठांकन करने के आदेष पारित किये गये।
8. मद सं0–8 में सीमाद्वार–नालापानी मार्ग का विस्तार बसन्त बिहार चौक से पंडितवाडी पुलिस चौकी तक करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।	संकल्प सं0–8 में प्राधिकरण द्वारा बसन्त बिहार चौक से पंडितवाडी पुलिस चौकी तक के मार्ग का पृष्ठांकन सीमाद्वार–नालापानी मार्ग के परमिटों मे करने के आदेष पारित किये गये।
9. मद सं0–9 में जीप ट्रैकर वाहनों को स्टैज कैरेज के रुप में चलाने हेतु निर्मित किये गये 5 मार्गो पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था।	संकल्प सं0–9 में प्राधिकरण ने शासन द्वारा निर्मित पांचो मार्गो का एक सैट बनाकर सभी 51 आवेदकों को इन मार्गो पर रोटेषन से वाहन चलाने के लिये स्टैज कैरेज परमिट स्वीकृत किये गये।

मद सं0–10 में गढवाली कालोनी–निर्वाचन आयोग–आर्य समाज चौक–अम्बीवाला गुरुद्वारा–बद्रीष कालोनी –अपर राजीव नगर क्षेत्र को नगर बस सेवा से जोडने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प सं0–10 में प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि छोटी जीप प्रकार की वाहनों को ठेका गाडी के रुप में संचालित करने हेतु मियांवाला से बालावाला होते हुए गुजरोवाली चौक– तुनवाला– नाजीवाला– किददुवाला– नत्थनपुर–नेहरु ग्राम–राजीव नगर–बलबीर रोड– ई0सी0रोड होते हुए सर्वे चौक–परेड ग्राउन्ड मार्ग निर्धारित किया जाता है। मार्ग ''ए'' क्लास में वर्गीकृत किया जाता है तथा इस मार्ग पर छोटी जीप प्रकार की वाहनों को 10 ठेका गाडी परमिट जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र आंमत्रित किये जायें तथा प्रार्थना पत्रों को आगामी बैठक में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

11. मद सं0–11 में टिहरी जनपद के नवनिर्मित षिवपुरी–तिमली, विनकखाल–भिगुन, सरकंडा–गोवा तथा विनकखाल–भैंती मोटर मार्ग व उत्तरकाषी जनपद के गंगोरी–नाल्ड मोटर मार्ग को यातायात के लिये खोलने के सम्बन्ध में विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प सं0–11 में प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि मद में उल्लिखित सभी मोटर मार्गो को यातायात के लिये खोल दिया जाय। टिहरी जनपद के 4 मार्गो का पृष्ठांकन मार्ग सूची सं0–1 तथा उत्तरकाषी जनपद के 1 नवनिर्मित मोटर मार्ग का पृष्ठांकन मार्ग सूची सं0–4 के परमिटों में कर दिया जाय।

12. मद सं0–12 में 7/8 सीट तक की हल्की वाहनों को संचालन करने हेतु देहरादून जनपद के 29 मार्गो तथा हरिद्वार जनपद के 18 मार्गो को वर्गीकृत/निर्मित करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प सं0–12 प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि धारा 74 (2)(1) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार इन मार्गो को हल्की वाहनों को ठेका गाडी के रुप में संचालित करने हेतु **क** श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। मार्गो पर 7/8 सीट तक की हल्की वाहनों को ठेका गाडी परमिट देने हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किये जायें।

13. मद सं0–13(अ) में देहरादून केन्द्र से स्वीकृत आटोरिक्षा परमिटों को प्राप्त करने हेतु दिये गये समय बढाने के 8 प्रार्थना पत्र तथा 13(ब) में 1 प्रार्थना पत्र विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था। 13(स) के अन्तर्गत 3 विकलांग व्यक्तियों को स्वीकृत परमिट प्राप्त करने के लिये लाइसेंस होने की अनिवार्यता की शर्त से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प सं0–13(अ)–(ब) में प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मद में वर्णित सभी 9 प्रार्थियों को स्वीकृत आटोरिक्षा परमिट प्राप्त करने हेतु दिनांक 31.08.10 तक का समय पूर्व निर्धारित शर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता है। 13(स) में सभी विकलांग प्रार्थियों को चालक लाइसेन्स की बाध्यता से छूट प्रदान की जाती है, अन्य षर्ते पूर्ववत लागू रहेंगी।

14. मद सं0–14 में विक्रम टैम्पो परमिटों के विरुद्व मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 86(ध) के अन्तर्गत परमिटों को निरस्त करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें से 4 विक्रम टैम्पो परमिटों पर संदिग्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर नवीनीकरण होने पर वाहनों का संचालन बन्द कर दिया गया था।

संकल्प सं0–14 में प्राधिकरण द्वारा प्रति परमिट रु0 10,000/– प्रषमन शुल्क के साथ नवीनीकरण स्वीकृत किया गया।

15. मद सं0–15(अ) में 4 वाहनों के विरुद्व विभिन्न माध्यमों से षिकायत प्राप्त होने पर तथा 15(ब) में एक ही अभियोग में 26 वाहनों के दो चालान होने पर निलम्बन तथा 15(स) में 15 वाहनों के दो से अधिक चालान पाये जाने पर, परमिटों के विरुद्ध मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत निरस्तीकरण की कार्यवाही पर मामला विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प सं0–15(अ)(ब)(स) के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा 45 परमिटों के विरुद्व निलम्बन अथवा निलम्बन अवधि का प्रषमन शुल्क निर्धारित किया गया।

16. मद सं0–16 में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट संख्या–178/एमएस/07–श्री नरेन्द्रसिंह गुसाई तथा अन्य में पारित आदेष दिनांक 18.2.10 के अनुपालन में प्रेमनगर –गुलरघाटी मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प सं0–16 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा परिषिष्ठ में उल्लिखित सभी 170 प्रार्थनापत्रों को आगामी बैठक के लिये स्थगित किया गया।

17. मद सं0–17 में श्री निर्मल सिंह पुत्र श्री धनपाल सिंह ग्राम व पो0 छिददरवाला के प्रार्थना पत्र पर मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प सं0–17 में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को डोईवाला केन्द्र से 25 किमी0 अर्धब्यास के लिये एक ठेका गाडी परमिट सामान्य शर्तो के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिये जारी किया जाय।

18. मद सं0–1(अनु0) में कोरोनेषन चिकित्सालय(दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय) तक मरीजों के आवागमन हेतु नगर बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प सं0–1(अनु0) में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि एमडीडीए–डाटमंदिर मार्ग की बसों का मार्ग विस्तार द्वारिका स्टोर से इन्द्ररोड–कर्जनरोड होते हुए दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय तक कर दिया जाय।

मद सं0–2(अनु0) में पैवेलियन से एस्लेहाल–कांग्रेस भवन–नेषविला रोड–डोभालवाला– कालीदास रोड–हाथीबडकला–सर्वे गेट–पुलिस चौकी से आगे मंदिर से नया गांव–जौहडी– अनारवाला चौक तक मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प सं0–2(अनु0) में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त मार्ग को जीप प्रकार की छोटी वाहनों को ठेका गाडी के रूप में संचालित करने हेतु ''क'' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। मार्ग पर 05 परमिट जारी करने हेतु प्रार्थना–पत्र आमंत्रित किये जांय।

मद सं0–3(अनु0) में टिहरी जनपद के छतियारा–खवाडा, धोपडधार–कोपडधार, खालसी से खालसी गांव तक, मनेरी–जखोल मोटर मार्ग तथा उत्तरकाषी जनपद के भटवाडी–पाही– द्वारी–गोरषाली–जखोल नवनिर्मित मोटर मार्गों को यातायात के लिये खोलने के सम्बन्ध में मामला विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प सं0–3(अनु0) में प्राधिकरण ने मद में उल्लिखित मार्गो को यातायात के लिये खोलने, टिहरी जनपद के 02 मार्गों को मार्ग सूची सं0–1 तथा उत्तरकाषी जनपद के 3 मार्गो को मार्ग सूची सं0–4 के परमिटों में पृष्ठांकन करने की आज्ञा प्रदान की गई है।

मद सं0–4(अनु0) में आटो रिक्षा परमिटों हेतु देहरादून केन्द्र के लिये प्राप्त 37, ऋषिकेष केन्द्र के लिये प्राप्त 188, हरिद्वार केन्द्र के लिये प्राप्त 1894, रुडकी केन्द्र के लिये प्राप्त 35 प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प सं0–4(अनु0) में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि देहरादून व ऋषिकेष में पर्याप्त संख्या में आटोरिक्षा परमिट वैध होने के कारण इन केन्द्रों के लिये प्राप्त प्रार्थनापत्रों को अस्वीकृत किया गया। हरिद्वार व रुडकी केन्द्र के लिये प्राप्त क्रमषः 1894, 35 प्रार्थनापत्रों को स्थानीय निवासी होने, पूर्व से कोई परमिट न होने, आवेदन के पास हल्का वाणिज्यिक चालक लाइसेन्स होने की शर्त के साथ स्वीकृत किया गया।

मद सं0–5(अनु0) में विक्रम टैम्पो परमिटों हेतु देहरादून केन्द्र के लिये 10, डोईवाला केन्द्र के 18, विकासनगर केन्द्र के लिये 4, ऋषिकेष केन्द्र के लिये 428, हरिद्वार केन्द्र के लिये 554, रुडकी केन्द्र के लिये 148, लक्सर केन्द्र के लिये 15 प्रार्थना पत्रों को विचार व आदेष हेतु मामला प्रस्तुत किया गया था।

संकल्प सं0–5(अनु0) में प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि परिषिष्ट में उल्लिखित परमिटों हेतु प्राप्त सभी प्राप्त प्रार्थना–पत्रों को अस्वीकृत किया जाता है।

मद सं0:–2 **सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित निम्नलिखित आदेशों का अनुमोदनः–**

1. श्री षिव कुमार शर्मा आटो रिक्षा विक्रम एसोसिएषन, जनपद हरिद्वार के प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में हरिद्वार केन्द्र से स्वीकृत आटोरिक्षा परमिटों को प्राप्त किये जाने का समय दिनांक 31.08.10 के स्थान पर दिनांक 12.10.10 तक बढाये जाने के सम्बन्ध में पारित आदेष दिनांक 08.09.10 का अनुमोदन।
2. श्री गोपाल शर्मा पुत्र श्री विजय कुमार शर्मा, मोहल्ला चौहानन, ज्वालापुर, हरिद्वार को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में स्वीकृत आटोरिक्षा परमिट में विकलांग व्यक्ति के लिये लाइसेंस की बाध्यता को समाप्त करने के सम्बन्ध में पारित आदेष दिनांक 01.09.10 का अनुमोदन।

मद सं0–3 **सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्राधिकरण के प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में पारित आदेशों का अनुमोदनः–**

अ– दिनांक 01.06.10 से दिनांक 30.09.10 तक मो0गा0अ0–1988 की धारा–87 व 88(8) के अन्तर्गत निम्नलिखित परमिट जारी किये गये :–

–सवारी गाडी, ठेका गाडी, मैक्सी कैब, टैक्सी कैब, जनभार वाहन के अस्थाई परमिट क्रमांक 13391 से 13860 तक – 470

ब– शासन की उदार नीति के अन्तर्गत जारी किये गये स्थाई परमिटः :–

1–जनभार वाहन के स्थाई परमिट	40664 से 41143 तक – 480
2–भारवाहन के राष्ट्रीय परमिट	8854 से 9215 तक – 362
3–मैक्सी कैब के स्थाई परमिट	2382 से 2708 तक– 327
4–टैक्सी कैब के स्थाई परमिट	4853 से 4921 तक– 69

5–यूटिलिटी के स्थाई परमिट 1157 से 1226 तक– 70
6–सवारी गाडी के स्थाई परमिट
पर्वतीय मार्ग – 3702 से 3749 तक – 48
मैदानी मार्ग– ————
7–निजी सवारी गाडी के स्थाई परमिट (स्कूल बसों व अन्य संस्थाओं)
को जारी परमिट – 1479 से 1566 तक– 88
8–ठेका गाडी के स्थाई परमिट – 640 से 678 तक– 39

स– स्थाई सवारी गाडी के नवीनीकरण किये गये परमिट– 28

पीएसटीपी–776, 777, 778, 883, 1548, 1549, 1551, 1552, 1554, 1559, 1674, 1685, 1776, 1778, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1788, 1789, 1791, 1792, 1794, 1795, 1811

द– 1. मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्याधिकरण द्वारा अपील सं0–25/08 में पारित आदेष दिनांक 03.08.10 के अनुपालन में श्री नवीन कुमार गुप्ता को देहरादून–डोईवाला नगर बस मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में पारित सचिव के आदेष दिनांक 06.09.10 का अनुमोदन।

2. श्रीमती प्रीति गुप्ता को देहरादून–कालसी मार्ग पर जारी स्थाई सवारी गाडी परमिट संख्या 1892 में संचालित वाहन संख्या यूके07पीए–0697 माडल 2009 के स्थान पर लोअर माडल की वाहन संख्या यूके 07पीए–0610 माडल 1998 लगाने के सम्बन्ध में पारित सचिव के आदेष दिनांक 08.09.10 का अनुमोदन।

3. श्री रामकुमार सैनी को माजरा–धर्मावाला–विकासनगर मार्ग पर जारी स्थाई सवारी गाडी परमिट संख्या 1128 में संचालित वाहन संख्या यूए07एल–5067 माडल 2005(पंजीयन तिथि 29.12.05) के स्थान पर सेम माडल की वाहन संख्या यू12ए–0260 माडल 2005(पंजीयन तिथि 16.05.05) लगाने के सम्बन्ध में पारित सचिव के आदेष दिनांक 20.09.10 का अनुमोदन।

मद सं0–4– मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा याचिका सं0–1609/09/एमएस–श्री आषुतोष सिंह व अन्य तथा याचिका सं0–1299/10/एमएस–श्री अनूप गोस्वामी तथा अन्य में पारित आदेष दिनांक– 28.07.10 के अनुपालन में, देहरादून –डोईवाला मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थनापत्र पर विचार व आदेष–

उपरोक्त याचिकायें देहरादून–डोईवाला मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु दिये गये प्रार्थनापत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में दायर की गई हैं। मा0 न्यायालय द्वारा इन याचिकाओं में पारित आदेषों का मुख्य अंष निम्न प्रकार है।

Having heard learned counsel for the parties and after examining the papers annexed with the writ petition and in the interest of justice, direction is issued to the Respondent no.2- Regional Transport Authority, Dehradun to take decision on the applications of the petitioners for grant of Regular permit Expeditiously, Preferably with in a period of three months from the date of production of certified copy of the order.

"With this observation, the writ petition is disposed of"

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून के क्षेत्रान्तर्गत एक सिटी बस मार्ग देहरादून –डोईवाला (परेडग्राउण्ड–दर्षनलालचौक –प्रिन्सचौक–धर्मपुर–रिस्पनापुल– जोगीवाला–मियांवाला–कुवांवाला– लच्छीवाला– डोईवाला) निर्मित व वर्गीकृत है, जिसकी लम्बाई–20 कि0मी0 है। उक्त मार्ग पर आरटीए देहरादून द्वारा अपनी बैठक दिनाक 14.5.05 मे 15 परमिटो की संख्या निर्धारित करते हुए मार्ग पर 15 स्थाई सिटीबस स्टेज कैरिज परमिट स्वीकृत किये गये थे, जिसमे से 14 प्रार्थियो द्वारा परमिट प्राप्त किये गये थे, एक प्रार्थी द्वारा परमिट प्राप्त नही किया गया । इसके उपरान्त दो प्रार्थियो सर्वश्री प्रदीप कुमार व जसबीर सिंह को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जारी निर्देषो के अनुपालन मे उक्त मार्ग पर एक–एक स्थाई स्टेज कैरिंज परमिट जारी किये गये तथा एक प्रार्थी श्री अतुल कुमार सिघल को माननीय राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड देहरादून के निर्देषो के अनुपालन में परमिट जारी किया गया । इस प्रकार मार्ग पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.08 तक 17 परमिट वैध थे जिन पर वाहने संचालित थी। माननीय राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड के आदेष दिनाक 15.5.09 के अनुपालन मे उक्त मार्ग पर चार परमिट तथा आदेष दिनांक

03.08.10 के अनुपालन में एक परमिट जारी किये गये है। वर्तमान मे इस मार्ग पर 22 स्थाई सवारी गाडी परमिट वैध है, तथा 22 वाहने मार्ग पर संचालित हैं।

उक्त मार्ग पर स्थाई स्टेज कैरिज परमिटो हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रो पर आरटीए द्वारा समय से विचार न करने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल मे दो प्रार्थियो श्री एस0के0 श्रीवास्तव द्वारा याचिका संख्या–1496/08 तथा श्रीमती तेजेन्द्र कौर द्वारा याचिका संख्या–1503/08 दायर की गई थीं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29–9–08 को याचियों के प्रार्थनापत्रों का निस्तारण 3 माह के अन्दर करने के आदेष पारित किए गये थे। इन आदेषों के अनुपालन में उक्त मार्ग पर स्थाई परमिटो हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रो को विचार व आदेष हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनाक 27.12.08 मे मद संख्या–12 के अन्तर्गत विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने प्रार्थनापत्रों पर विचारोपरान्त निम्न आदेष पारित किये थे।

''मद संख्या–12 के अन्तर्गत देहरादून–डोईवाला मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध मे श्री एसके श्रीवास्तव व श्रीमती तेजेन्द्र कौर द्वारा दायर याचिका संख्या– 1496/एमएस/08 तथा याचिका संख्या–1503/एमएस/08 मे माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेष दिनाक 29.9.08 के अनुपालन मे उपरोक्त मार्ग पर स्थाई सवारी परमिट हेतु प्राप्त याचिकाकर्त्ताओ तथा अन्य प्रार्थियो के प्रार्थना पत्रो को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया। इस मार्ग पर 255 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनका विवरण परिषिष्ट 'क' मे दिया गया है। इस सम्बन्ध मे श्री एसके श्रीवास्तव प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होने अवगत कराया कि मिथिलेष गर्ग के केस के पैरा नं0–6 का हवाला देते हुए कहा कि प्रष्नगत मार्ग पर परमिट जारी किये जा सकते है। मार्ग के आपरेटर श्री मनमोहन सिह विष्ट ने इस मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध आपत्ति करते हुए निवेदन किया कि मार्ग पर परमिट देने हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रो को स्थगित किया जाय।

प्राधिकरण ने प्रष्नगत प्रकरण पर गम्भीरता से विचार किया तथा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि परिषिष्ट 'क' तथा अनुपूरक सूची मे उल्लिखित सभी प्रार्थियो को देहरादून–डोईवाला नगर बस मार्ग का एक–एक स्थाई परमिट इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि परमिट नई वाहन से ही प्राप्त किया जायेगा। स्वीकृत परमिट नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनाक–31.3.09 तक प्राप्त किया जा सकता है। तत्पष्चात स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी, यह भी प्रतिबन्ध लगाया जाता है कि स्वीकृत परमिट पर संचालित वाहन का प्रतिस्थापन एक वर्ष से पूर्व स्वीकृत नही किया जायेगा।''

प्राधिकरण के उपरोक्त आदेषों के अनुपालन में प्रष्नगत मार्ग पर 46 स्थाई स्टैज कैरीज परमिट जारी किए गए थे।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून के उक्त आदेषो के विरुद्ध मार्ग के ऑपरेटर सर्वश्री मनमोहन सिह बिष्ट व जसबीर सिह द्वारा निगरानी संख्या–1/09 व 2/09 माननीय राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड के समक्ष दायर की गई थी। माननीय न्यायाधिकरण द्वारा उक्त निगरानियों मे, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून द्वारा दिनांक 27.12.08 की बैठक में संकल्प संख्या–12 के अन्तर्गत स्वीकृत परमिटों मे से चार प्रार्थियो के परमिट स्वीकृति के आदेषो को यथावत रखते हुए शेष प्रार्थियों की परमिट स्वीकृति का आदेष दिनाक 27.12.08 निरस्त कर दिया गया था। न्यायाधिकरण के इन आदेषों के अनुसार प्रष्नगत मार्ग पर जारी 46 परमिट निरस्त हो गये हैं।

माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेषों के विरुद्ध सर्वश्री तेजेन्द्र सिंह रावत व विनोद चन्दोला द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका संख्या–749/एमएस/09 व 785/एमएस/09 दायर की गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त दोनो याचिकाओं को अपने आदेष दिनाक 21.8.09 द्वारा निस्तारित करते हुए, माननीय राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड के आदेष दिनांक 15.05.09 को सही माना गया है। मा0 उच्च न्यायालय ने आदेष पारित किए हैं कि आरटीए याचिकाकर्ताओं के प्रार्थनापत्रों पर नये सिरे से नियमानुसार विचार कर सकती है।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 749/09 तथा 785/09 में पारित आदेषों के अनुपालन में देहरादून–डोईवाला मार्ग पर बसों की अति0 आवष्यकता के सम्बन्ध में सयुक्त सर्वेक्षण समिति से सर्वेक्षण कराया गया था। संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा दी गई आख्या दिनांक 21.10.09 सहित मामले को विचार व आदेष हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.2009 में मद सं0–19 द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध प्रबन्ध निदेषक उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून ने अपने पत्र संख्या 1774 दिनांक 31.08.09 द्वारा आपत्ति की थी। इस आपत्ति पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक–12.11.2009 में काफी विस्तार से विचार किया गया था तथा आपत्तियों को अमान्य करते हुए निर्णय लिया गया था कि देहरादून–डोईवाला मार्ग में निम्नलिखित मार्ग का विस्तार निम्न प्रकार किया जायेः

1. डोईवाला से दूधली तक
2. डोईवाला से जौलीग्राण्ट तक
3. परेडग्राउण्ड से सर्वेचौक–रायपुर रोड–लाडपुर से जोगीवाला तक
4. रिस्पना से आई0एस0बी0टी0 तक

प्राधिकरण ने देहरादून–डोईवाला मार्ग का विस्तार उपरोक्तानुसार करने के पष्चात् इस मार्ग पर 43 रिक्तियां निर्धारित की थीं, इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 10 रिक्तियां आरक्षित की गई थी तथा इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर का विचार करना स्थगित कर दिया था तथा आदेष पारित किये थे कि प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु 20 दिन के अन्दर बैठक आयोजित की जाय।

देहरादून–डोईवाला मार्ग पर स्थाई सवारी गााडी परमिट के प्रार्थनापत्रों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02.12.09 मे प्रस्तुत किया गया था, परन्तु श्री मनमोहन सिंह द्वारा दायर याचिका सं0–1875/09 तथा उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा दायर याचिका सं0–2028/09 में मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेष होने के कारण कोई निर्णय नहीं लिया गया था। मा0 उच्च न्यायालय के आदेष दिनांक 15.06.10 द्वारा इन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है तथा याचिकाओं मे पारित स्थगन आदेष भी समाप्त हो गये हैं।

देहरादून–डोईवाला मार्ग के जो परमिट निरस्त हो गये थे, उनमे से 10 प्रार्थियों को अन्य मार्गो पर प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किये गये हैं तथा प्राधिकरण के आदेष दिनांक 18.08.10 द्वारा 04 प्रार्थियों को राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग के अस्थाई परमिट जारी किये गये हैं।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में पारित आदेषों, जिसके द्वारा देहरादून–डोईवाला मार्ग का विस्तार करते हुऐ मार्ग के लिये 43 रिक्तियां निर्धारित की गई थी, के विरुद्व, मार्ग के एक आपरेटर श्री योगराज सिंह द्वारा मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रकीर्ण वाद सं0–06/10 दायर किया गया था। इस वाद को मा0 न्यायाधिकरण के आदेष दिनांक 26.06.10 द्वारा निरस्त किया गया है। मा0 अपीलीय न्यायाधिकरण के इन आदेषों के विरुद्व श्री योगराज सिंह ने मा0 उच्च न्यायालय में याचिका सं0–1079/10/एमएस दायर की है। जो मा0 उच्च न्यायालय में अनिस्तारित है।

प्रबन्ध निदेषक उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून ने अपने पत्र सं0–1118/एच.क्यू./संचालन–11/2010 दिनांक 25.06.10 द्वारा देहरादून–डोईवाला एवं डोईवाला से होकर अन्य मार्गो पर परमिट निर्गत करने के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है। इस पत्र में यह कहा गया है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में देहरादून–डोईवाला मार्ग पर परमिट निर्गत करने के सम्बन्ध में विचार किया गया था तथा परिवहन निगम द्वारा आपत्ति की गई थी। इस मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में परिवहन निगम द्वारा दायर याचिका को अपरिपक्व कहते हुऐ मा0 उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके पष्चात परिवहन ने इस आदेष के विरुद्व विषेष अपील सं0–106/10 दाखिल की थी। इस अपील को भी उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह कहते हुऐ खारिज कर दिया है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण निर्णय लेने से पूर्व उत्तराखण्ड परिवहन निगम की आपत्तियों पर विचार कर निर्णय ले। परिवहन निगम ने अपनी आपत्ति में अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेष सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.94 द्वारा परिवहन निगम द्वारा पूर्व में संचालित नगर बस सेवा मार्गो के लिये ही राष्ट्रीयकरण की स्कीम में संषोधन किया गया था। पूर्व में परिवहन निगम द्वारा देहरादून नगर के लिये संचालित बस सेवा देहरादून से प्रेमनगर, राजपुर, सहस्त्रधारा व क्लेमेन्टाउन के अधिसूचित मार्गो पर संचालित की जा रही थी। उन्होने अनुरोध किया है कि देहरादून–डोईवाला तथा उक्त मार्ग से सम्बन्धित अन्य किसी राष्ट्रीयकृत मार्गो पर निजी वाहन संचालकों को परमिट जारी न किये जायें।

प्रबन्ध निदेषक उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून ने अपने पत्र संख्या 2756/एचक्यू/संचालन–।।/10 दिनांक 04.10.10 द्वारा देहरादून–डोईवाला तथा सम्बन्धित मार्ग पर परमिट जारी करने के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है। उन्होंने अपने पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में निगम द्वारा दायर विषेष याचिका संख्या 106/10 में पारित आदेष दिनांक 25.6.10 की छायाप्रति संलग्न की है। इस याचिका में यह कहा गया है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून द्वारा मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने से पूर्व परिवहन निगम तथा अन्य परमिट धारकों द्वारा की गई आपत्तियों का निस्तारण किया जाये। परिवहन निगम ने अनुरोध किया है कि, पहले उनके पत्र संख्या 1111 व 1118 दिनांक 25.06.10 द्वारा की गई आपत्तियों का निस्तारण करने का कष्ट करें।

परिवहन निगम ने अपने पत्र संख्या 1118 दिनांक 25.06.10 द्वारा देहरादून–डोईवाला मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्ध निम्नलिखित आपत्तियां की हैंः–

आपत्ति–(a)– "देहरादून–डोईवाला–ऋषिकेष–नरेन्द्रनगर मार्ग पूर्व में जारी अधिसूचना सं0–1037T/xxx/B दिनांक 16.03.61 के द्वारा अधिसूचित मार्ग है। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेष राज्य में राज्य परिवहन निगम अर्थात उत्तर प्रदेष राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा देहरादून नगर के लिए नगर बस सेवा संचालित की जाती थीं। उत्तर प्रदेष राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा देहरादून से प्रेमनगर, देहरादून से राजपुर देहरादून से क्लेमेन्टाउऊन, तथा देहरादून से सहस्रधारा मार्ग पर नगर बस सेवायें संचालित की जाती थीं जो अधिसूचित हैं। पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेष राज्य की सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या– 2134/30––94/––240/93 दिनांक 05.08.1994 से राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित नगर बस सेवा के संचालन के लिए निजी बस संचालन के लिए पूर्ववर्ती स्कीम में संषोधन किया अर्थात् उत्तर प्रदेष राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा देहरादून नगर के लिए संचालित बस सेवा जो प्रेमनगर, राजपुर, सहस्रधारा व क्लेमेन्टाउन के अधिसूचित मार्ग पर उत्तर प्रदेष राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के साथ–साथ निजी बसें भी संचालित हो सकेंगीं।

देहरादून से ऋषिकेष होते हुए नरेन्द्र नगर अधिसूचित मार्ग के देहरादून–डोईवाला के अंष को भी नगर बस सेवा बताये जाने का कोई आधार नहीं है। उत्तर प्रदेष सरकार की अधिसूचना में नगर बस सेवा केलिए 20 किलोमीटर के अर्द्धव्यास का क्षेत्र सम्मिलित होने का यह आषय कदापि नहीं है कि जिस मार्ग पर नगर बस सेवा उत्तर प्रदेष राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित नहीं की जा रही थी और जो मार्ग नगर बस सेवा के लिए अधिसूचित नहीं थे।

उत्तर प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्या–2582/30–2–93–240/93 दिनांक 06–08–1993 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि राज्य सरकार ने कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, आगारा, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद व देहरादून नगरों के 20 किलोमीटर अर्द्धव्यास की सीमा में (विषेष परिस्थितियों में 25 किलोमीटर के अर्द्धव्यास में) राज्य सड़क परिवहन निगम की नगर बस सेवा को निजी क्षेत्र की बस सेवा से सम्पूरित करने का निर्णय लिया है। इस अधिसूचना की भाषा से स्वतः स्पष्ट है कि राज्य सड़क परिवहन निगम की नगर बस सेवा को निजी क्षेत्र की बस सेवा से सम्पूरित करने का निर्णय लिया गया है। स्वाभाविक है कि परिवहन निगम को नगर बस सेवा के लिए जो मार्ग अधिसूचित रहें, उन्हें निजी क्षेत्र की बस सेवाओं से सम्पूरित किया जाएगा। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि 20 किलोमीटर के अर्द्धव्यास की सीमा के अन्तर्गत अन्तर्जनपदीय अधिसूचित मार्ग के लिए हिस्से को नगर बस सेवा के लिए नये सिरे से सम्मिलित कर लिया जाए। उक्त अधिसूचना दिनांक 06.08.1993 से आपत्तियां आमन्त्रित करने की कार्यवाही के उपरान्त उत्तर प्रदेष सरकार ने अधिसूचना संख्या–2134/30–2–94–240/93 दिनांक 05.08.1994 द्वारा देहरादून नगर में 20 किलोमीटर के अर्द्धव्यास के भीतर (अपवादित परिस्थितियों में 25 किलोमीटर) निजी क्षेत्र द्वारा नगर में उत्तर प्रदेष राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवा में अनुपूरक प्रचालन योजना को अनुमोदित किया गया है।

यहां यह भी उल्लेख करना है कि मै0 आर्दष ट्रैबल बस सर्विस तथा अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के निर्णय दिनांक 17.10.85 में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचित मार्ग के किसी हिस्से में निजी क्षेत्र की बस सेवा संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब तक कि योजना में ही संषोधन करके इस प्रकार की व्यवस्था न की गई हो। देहरादून–ऋषिकेष–नरेन्द्रनगर मार्ग अधिसूचित मार्ग है। यह मार्ग उत्तर प्रदेष राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा नगर बस सेवा संचालन के लिए कभी भी अधिसूचित नहीं हुए थे और दिनांक 05.08.1994 की अधिसूचना से इन मार्गों की योजना संषोधित नहीं की गई थी।

इस लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत जो व्याख्या की गई है उसके आलोक में यह स्पष्ट है कि देहरादून से डोईवाला मार्गांष को एक नये नगर बस सेवा मार्ग के रूप में स्थापित करना अवैध है और इस मार्ग पर दिनांक 05.08.1994 की अधिसूचना का सहारा लेकर परमिट निर्गत किए जाना अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध निर्णय लेना है।"

<u>आपत्ति–b–</u> दिनांक 05.08.94 की अधिसूचना में स्पष्ट है कि निजी बस संचालकों के द्वारा परिवहन निगम की बस सेवाओं को सम्पूरित किया जायेगा। जिससे स्पष्ट है कि निजी बस संचालकों द्वारा किसी मार्ग पर कितनी बसों का संचालन करना है। इसका निर्धारण परिवहन निगम द्वारा अपनी संचालित बस सेवाओं को ध्यान में रखते हुये किया जायेगा। अतः आर0टी0ए0 द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम की सहमति के बिना ही बसों की संख्या का निर्धारण किया जाना अनुचित है।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम ने मार्गो पर नये स्टोपेज निर्धारित करके ऐसे नागरिकों को जो स्टोपेज न होने के कारण सेवाओं का लाभ नहीं ले पाते थे, उनको सेवायें प्रदान कर सकता है। जैसे मोहकमपुर, लच्छीवाला, जौलीग्रान्ट हास्पिटल एवं जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट आदि स्थानों पर स्टोपेज बना करके क्षेत्रीय नागरिकों को बस सेवा का उपयोग करने की सुविधा सुलभ कराई जा सकती है।

<u>आपत्ति–c–</u> राज्य सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिषन के अन्तर्गत देहरादून नगर को 60 बसें आवंटित की हैं और 60 बसें हरिद्वार को आंवटित हैं। ये बसें नगर क्षेत्र व उसके आस–पास के क्षेत्रं में बस सेवा सुलभ कराने के लिये जैसा कि वर्ष 1994 की अधिसूचना में नगर बस सेवा को सम्पूरित करने के लिये प्राइर्वट आपरेटर को नगर बस सेवाओं के मार्ग पर आवष्यकता अनुसार संचालित होने के लिये अनुमति प्रदान करने की व्यवस्था करता है। अब नगर बस सेवा के लिये उत्तराखण्ड परिवहन निगम को ये 60 बसें उपलब्ध हो गई हैं, जिनका उपयोग नगर के विभिन्न मार्गो पर किया जायेगा। ऐसी स्थिति में प्राईवेट ऑपरेटरों के लिए अब राष्ट्रीयकृत मार्गों पर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस सेवा को सम्पूरित करने का अवसर नहीं रह जाता है, क्योंकि उत्तराखण्ड परिवहन निगम आवष्यकता के अनुसार बस सेवायें और अधिक मात्रा में सुलभ कराने के लिए सक्षम हो गया है।

<u>आपत्ति d–</u> "मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल ने अपने आदेष दिनांक 21.08.2009 के पैरा नम्बर–11 में स्पष्ट कहा गया है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों के अतिरिक्त आवष्यकता के परीक्षण हेतु नया सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए था।

इस संबंध में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा बनाई गई नगर बस योजना में यह प्राविधान है प्रत्येक मार्ग पर बसों की आवष्यकता हेतु सर्वेक्षण किया जायेगा। सर्वेक्षण में जिला प्रषासन के अधिकारियों के साथ परिवहन निगम के सहायक महाप्रबन्धक को भी सम्बद्ध रखा जायेगा। परिवहन विभाग द्वारा जो सर्वेक्षण कराया गया है, उसकी समिति में परिवहन निगम के किसी भी अधिकारी को नामित नहीं किया गया है।

बैठक की कार्यसूची में बताया गया है कि मार्गों के सर्वेक्षण हेतु सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के आदेष दिनांक 24.02.1999 के संकल्प संख्या–6 के द्वारा पुलिस प्रषासन तथा परिवहन अधिकारियों की संयुक्त सर्वेक्षण समिति गठित की गई है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि यह समिति केवल उक्त संकल्प में वर्णित मार्गों सर्वेक्षण हेतु ही वैध थी।

उक्त के अतिरिक्त नगर बस योजना के अनुसार निजी बसें केवल उन मार्गों/मार्गांषों पर संचालित की जानी थी, जिन पर परिवहन निगम अनापत्ति देगा तथा ये केवल अनापत्ति की अवधि तक ही चलाई जानी थी। इस संबंध में परिवहन निगम द्वारा देहरादून–डोईवाला मार्ग पर निजी बसें संचालित करने हेतु सहमति नहीं दी गई है। ”

यहां यह भी उल्लेख प्रासंगिक है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम में देहरादून–डोईवाला मार्ग पर कई स्टोपेज पर कार्मिक तैनात करके बसो में चढने वाले और बसों में उतरने वाले सवारियों की संख्या की गणना कराई, यह कार्य तीन दिन लगातार कराया गया। सर्वेक्षण के परिणाम से स्पष्ट है कि जो सर्वेक्षण परिवहन विभाग द्वारा कराया गया है वह वास्तविकता के अनुरुप नहीं है, उसमें बसों की आवष्यकत बढा चढाकर दिखाई गई है।

आपत्ति–e- सर्वेक्षण समिति द्वारा दिनांक 30.09.2009 से 07.10.2009 के मध्य सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्ग पर संचालित अधिकांष बसों में सीटिंग क्षमता से अधिक सवारी ले जाई जा रही थीं। यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि नगर बसों में सीटिंग

क्षमता के अतिरिक्त 50 प्रतिषत स्टैडिंग भी अनुमन्य हैं। इन्हें जोड़े जाने के पश्चात् ही बस में क्षमता से अधिक सवारियां ले जाया जाना कहा जायेगा।

देहरादून से डोईवाला होकर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की लगभग 300 ट्रिप तथा उत्तर प्रदेष राज्य सड़क परिवहन निगम के 50 ट्रिप प्रतिदिन प्रातः 05.00 बजे से लेकर रात्रि 10.00 बजे तक संचालित हैं। इन बस सेवाओं में कुंवावाला, हर्रावाला तथा लच्छीवाला बस स्टापेज हैं। इस मार्ग पर कभी भी अतिरिक्त बसें चलाने की मांग परिवहन निगम को प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस मार्ग पर निजी संचालकों की अतिरिक्त 20 बसें बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

आपत्ति–f- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21'08.09 में केवल देहरादून–डोईवाला मार्ग पर सर्वेक्षण कर कार्यवाही किये जाने के आदेष दिये गये थे। जबकि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा देहरादून–डोईवाला राष्ट्रीयकृत एवं अन्य राष्ट्रीयकृत मार्ग के अधिकांष भाग को जोड़कर निजी संचालकों के लिए नये मार्ग बनाने का प्रयास किया गया है जिस पर निगम को आपत्ति है।

आपत्ति–g–मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 68(3)(ca) के अनुसार मंजिली गाड़ियों को चलाये जाने हेतु सरकार द्वारा मार्ग नियत करे जाने हैं। आर0टी0ए0 को इसका अधिकार नहीं है।

आपत्ति–h– मोटर व्हकील एक्ट 1988 की धारा 71(3)(a) में स्पष्ट है कि राज्य सरकार यदि केन्द्र सरकार द्वारा यानों की संख्या सड़कों की दषा और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुये इस प्रकार निर्दिृष्ट किया जाय, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं प्रादेषिक परिवहन प्राधिकरण को यह निर्देष देगी की वह 5 लाख से अन्यून वाले शहरों में नगर मार्गों पर प्रचालित होने वाली साधारण मंजिली गाड़ी या किसी विनिर्दिष्ट किस्म की मंजिली गाड़ी को जो अधिसूचना में नियत और विनिर्दिष्ट किया जाय सीमित करें। अतः बिना राजपत्र में अधिसूचना जारी हुये नगर बसों का संचालन किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

आपत्ति–i सर्वेक्षण समिति द्वारा आई0एस0बी0टी0 से जौलीग्राण्ट बस सेवा की संस्तुति की गई है तथा निजी संचालकों की अतिरिक्त 15 बसों के संचालन की संस्तुति की गई है। यह मार्ग भी देहरादून–डाईवाला–ऋषिकेष–नरेन्द्रनगर राष्ट्रीयकृत मार्ग का अंष है। इस पर भी निगम द्वारा पर्याप्त संख्या में बसों का संचालन किया जा रहा है। आई0एस0बी0टी0 से जौलीग्राण्ट की दूरी 25 किमी बताई

गई हैं, जबकि वास्तव में इस मार्ग की दूरी 27 किमी है। एयर पोर्ट तक जाने में यह दूरी और अधिक हो जायेगी। अधिसूचना संख्या–2134/30––94–240/93 दिनांक 05.08.1994 के अनुसार केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही नगर बस सेवा को 25 किमी तक की अनुमति दी गई है। इससे स्पष्ट है कि यह मार्ग अवैध रूप से बनाया गया है। जिस पर परिवहन निगम को कड़ी आपत्ति है।

आपत्ति j– देहरादून–सर्वे चौक–लाडपुर होते हुये डोईवाला–जौलीग्राण्ट का मार्ग बनाया गया है, जिसकी दूरी 25 किमी बताई गई है, यह दूरी भी वास्तव में लगभग 28 किमी है। इस मार्ग पर भी जोगीवाला से जौलीग्राण्ट का भाग राष्ट्रीयकृत मार्ग का अंष है, जिस पर निजी बस का संचालन नहीं हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि यह मार्ग अवैध रूप से बनाया गया है। जिस पर परिवहन निगम को कड़ी आपत्ति है।

आपत्ति k– कार्यसूची में देहरादून–डोईवाला मार्ग की कुछ बसों का संचालन दूधली तक करने जाने हेतु कहा गया है। देहरादून–डोईवाला दूधली मार्ग की दूरी 8.7 किमी की है। इस प्रकार देहरादून से दूधली मार्ग की 28.7 किमी की होती है। अतः राष्ट्रीयकृत मार्ग के अंष को जोड़ते हुये एक नया मार्ग बनाया जाना अवैध है, जिस पर परिवहन निगम को आपत्ति है।

उपरोक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा केवल देहरादून–डोईवाला मार्ग पर आवेदित प्रार्थना–पत्र पर नये सिरे से विधि के अनुसार विचार करने के निर्देष दिये हैं, किन्तु कार्यसूची के अनुसार इस मार्ग के अतिरिक्त अन्य मार्ग बनाकर विचार किया जाना अनुचित है।

प्रान्तीय महामंत्री, उत्तराखण्ड रोडवेज इम्प्लाइज़ यूनियन, 66 गांधी रोड देहरादून ने अध्यक्ष सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून को सम्बोधित अपने पत्र सं0–485 दिनांक 28.09.10 द्वारा भी देहरादून–डोईवाला नगर बस मार्ग पर निजी वाहन स्वामियों को परमिट जारी करने के विरुद्व आपत्ति की है, जो निम्न प्रकार है–

1. मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 68(3)(डी) के अन्तर्गत देहरादून––डोईवाला–ऋषिकेश–नरेन्द्रनगर नगर मार्ग या उसके एक भाग पर अधिनियम में चैप्टर 4–ए के अर्न्तगत केवल परिवहन निमय को बस संचालन के एकाधिकार की अधिसूचना उत्तर प्रदेश शासन

द्वारा दिनांक 16.03.1961 को जारी की गई योजना के पैरा (3) के अनुसार मार्ग पर 14 सर्विस आना तथा 14 सर्विस जाने हेतु अर्थात् कुल 28 सर्विसों के संचालन का प्राविधान किया गया है, जिसके क्रम में परिवहन निगम द्वारा मार्ग पर 32 परमिट प्रापत कर मार्ग/मार्गान्शोंपर वाहन संचालित की जा रही है।

2. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के महानगरों में नगर बस संचालन को सुदृढ़ एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से नगर बस कार्य योजना बनायी गयी है, जिसके क्रम में महानगरों में पड़ने वाले राष्ट्रीयकृत भागों पर 20 कि0मी0 तक विशेष परिस्थितियों में 25 कि0मी0 तक संचालन के लिए मूल योजनाओं में उल्लिखित सर्विसों को निजी प्रचालकों द्वारा अनुपूरित कराये जाने की अधिसूचना दिनांक 05.08. 1994 के द्वारा अनुमति प्रदान की गई तथा कार्य योजना में यह प्राविधान भी किया गया कि नगर अनुमति प्रदान की गई तथा कार्य योजना में यह प्राविधान भी किया गया कि नगर बस संचालन से पूर्व मार्गों पर कितनी बसें संचालित की जानी है का अनापत्ति प्रमाण–पत्र परिवहन निगम से लिया जायेगा जिसके अनुसार आर0टी0ए0 नगर बस मार्गों पर परमिट स्वीकृत कर जनता को बस संचालन की सुविधा प्राप्त करायेगा।

3. कार्ययोजना में यह भी प्राविधान किया गया है कि मार्गों पर सर्वेक्षण करते समय कितनी संख्या किन–किन मार्गों पर परमिटों हेतु निर्धारित की जानी है का प्राविधान है। इसी प्राविधान के अन्तर्गत परिवहन निगम से मण्डलीय प्रबन्धक स्तर के अधिकारी को भी सर्वेक्षण समिति में रखे जाने का प्राविधान है तथा विवाद होने की दशा में (1) जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से विवाद का निस्तारण किया जायेगा, निस्तारण न होने की स्थिति में (2) मंडलायुक्त महोदय द्वारा निस्तारण किया जायेगा, उनके द्वारा निस्तारण न होने की स्थिति में ()3 शासन स्तर पर विवाद का निस्तारण किये जाने का प्राविधान है परन्तु आर0टी0ए0 देहरादून द्वारा नगर बस कार्ययोजना का प्रोसिजर पूरा किये बगैर ही देहरादून–डोईवाला नगर बस मार्ग पर परमिट ग्राण्ट की कार्यवाही करना न्याय संगत नहीं है और विधि विरुद्ध है।

4. आर0टी0ए0 देहरादून द्वारा गत बैठक दिनांक 11.12.2009 को देहरादून–डोईवाला नगर बस मार्ग पर राष्ट्रीयकरण की योजना में मार्ग एवं उसके एक भाग पर निर्धारित 28 सर्विसों के विपरीत, नियम विरुद्ध बनायी गयी सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर 43 परमिटों की रिक्तियां निर्धारित कर दी गयी जबकि आर0टी0ए0 को राष्ट्रीयकृत मार्गों पर योजना में निर्धारित सर्विसों के अतिरिक्त परमिटों की संख्या को बढ़ाये या घटाये जाने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है, क्योंकि मोटर यान अधिनियम की धारा 98 के अनुसार चैप्टर 6 चैप्टर 5 पर जिसमें आर0टी0ए0 परमिट ग्राण्ट कर सकता है ओवर राईडिंग इफैक्ट रखता है। इस प्रकार आर0टी0ए0 को

स्टेट्युटरी प्रोविजन के बाहर कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः आर0टी0ए0 देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2009 में मार्ग पर रिक्तियां क्षेत्राधिकारी के बाहर जाकर की गयी है।

5. आर0टी0ए0 देहरादून द्वारा गत बैठक दिनांक 11.12.2009 में मार्ग वृद्धिकृत किये जाने का निर्णय भी लिया गया है जबकि विशेष परिस्थितियों में केवल मार्ग को 25 कि0मी0 राष्ट्रीयकृत भाग पर संचालन की अनुमति दिये जाने का प्राविधान है परन्तु इसके विपरीत मार्ग पर 05 कि0मी0 रिस्पना पुल से आईएसबीटी तक जोड़ा गया है, डोईवाला से दूधली तक लगभग 8.7 कि0मी0 जोड़ा गया तथा डोईवाला से जौलीग्राण्ट तक लगभग 05 कि0मी0 जोड़ा गया जबकि पहले से ही मार्ग 20 कि0मी0 का है। इस प्रकार मार्ग की कुल दूरी लगभग 47 कि0मी0 कर दी गयी जबकि विशेष परिस्थितियों में मार्ग केवल 25 कि0मी0 तक ही बस संचालन की अनुमति दी जा सकती है। यह मार्ग वृद्धिकरण कार्ययोजना, अधिसूचनाओं तथा राष्ट्रीयकरण की योजनाओं के उद्देश्यों के विपरीत लिया गया निर्णय है। इससे परिवहन निगम को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी तथा निगम अपने जनहित में बस संचालन के उद्देश्य से भी पिछड़ जायेगा।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से सुस्पष्ट है कि नगर बस कार्ययोजना के विपरीत, राष्ट्रीयकरण की योजना दिनांक 16.03 1961 एवं संशोधित योजना दिनांक–05–08–1994 के विपरीत तथा मोटरयान अधिनियम 1988 में वर्णित अध्याय–6 में उल्लिखित धारा 98, 99, 100 (3) 102 एवं 104 क विपरीत लिये गये निर्णय दिनांक 11.12.2009 पर पुनः परिवहन निगम को सर्वेक्षण समिति में सम्मिलित कर तथा अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ देहरादून–डोईवाला नगर बस मार्ग पर कितनी संख्या में निजी प्रचालकों को अनुपरण की अनुमति दी जानी है का पुनः निर्धारण किये जाने हेतु उचित निर्देश जारी करने का कश्ट करें। आपत्ति के निस्तारण तक मार्ग पर कोई भी

परमिट स्वीकृत न किया जाना न्याय/निगम हित में होगा। महोदय, यदि पत्र प्राप्ति के उपरान्त भी देहरादून–डोईवाला मार्ग पर परमिट देने की कार्यवाही की गयी तो यूनियन आन्दोलन करने के लिये बाध्य होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त देहरादून–डोईवाला मार्ग के आपरेटर श्री मनमोहन सिंह बिष्ट ने अपने पत्र दिनांक 24.09.10 द्वारा प्रष्नगत मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व निम्न आपत्ति की है।

1. मोटर यान अधिनियम, 1939 के अध्याय 4 ए की धारा 83 (3) (डी) के अनुसार उत्तरप्रदेष सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण की अधिसूचना दिनांक 16.03.1961 में देहरादून–ऋषिकेष–नरेन्द्रनगर मार्ग और उसके भाग पर केवल परिवहन निगम को 14 सर्विस अप और डाउन के अनुसार कुल 28 सर्विसों पर बस संचालन का एकाधिकार प्रदान कर दिया गया, उक्त आषय अधिसूचना के पैरा 3 से स्पष्ट है पैरा 4 के अनुसार उपरोक्त मार्ग अथवा मार्ग भाग पर निजि बस संचालन योजना के अनुसार निषिध कर दिया गया। परिवहन निगम द्वारा तभी से मार्ग एवं उसके भाग पर बस संचालन किया जा रहा है।
2. भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 में पुराने मोटर यान अधिनियम, 1949 को बदल कर नया मोटर यान अधिनियम, 1988 बनाया गया जो दिनांक 01.07.1989 से लागू हुआ नये मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 217 में पुराने मोटर यान अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत जारी सभी राष्ट्रीयकरण की अधिसूचनाओं को "सेव" कर दिया गया, कि अध्याय पांच की धारा 71 (1) के अनुसार आर0टी0ए0 को परमिट प्रार्थना पत्रों पर विचार करने का अधिकार प्राप्त है तथा इसी धारा में

यह उल्लेख भी किया गया है कि आर0टी0ए0 द्वारा मोटर यान अधिनियम के एम्स एण्ड ओबजेक्टस के अनुसार ही परमिट प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जायेगा। नये मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत परमिट स्वीकृत किये जाने वाले प्रार्थना पत्रों की पालिसी को "लिबरल" कर दिया गया अर्थात् नये मोटर यान अधिनियम, 1988 में आर0टी0ए0 को 'अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट रिक्तियों के निर्धारण का अधिकार समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार "लिबरल" पालिसी केवल अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर लागू रहेगी यह प्राविधान अधिनियम के "ऐम्स एण्ड ओब्जेक्ट" के पैरा (5) के "जी" क्लोज में उल्लिखित है अर्थात् "लिबरल" पालिसी राष्ट्रीयकृत मार्गों पर लागू नहीं होती है, क्योकि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अध्याय–6 के प्राविधानों के अनुसार किया जाता है न कि अध्याय–5 के प्राविधानों के अनुसार।

3. उत्तरप्रदेष सरकार द्वारा वर्ष 1992 में महानगरों हेतु नई "नगर बस कार्य योजना" का क्रियानव्यन किया गया जिसके क्रम में शासन द्वारा प्रदेष में पड़ने वाले महानगरों के राष्ट्रीयकृत मार्ग/मार्गभारों पर 20 कि0मी0 विषेष परिस्थितियों में 25 कि0मी0 तक परिवहन निगम की योजना में उल्लिखित सर्विसों के संचालन को निजी वाहन स्वामियों द्वारा अनुपूरित कराये जाने का निर्णय लिया गया जिसके क्रम में शासन द्वारा मोटर यान अधिनियम की धारा 102 के अनुसार राष्ट्रीयकरण की योजनाओं को उपान्तरित करने की अधिसूचना दिनांक 05.08.1994 जारी की गयी योजना में परिवहन निगम के संचालन को निजी प्रचालाकों द्वारा अनुपूरित कराये जाने का प्राविधान केवल अनुपूरण की सीमा तक किया गया है।

4. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीयकरण की अधिसूचनाओं को मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 102 के अनुसार निरस्त करने, उपान्तरित करने का अधिकार प्राप्त है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 05.08.1994 के माध्यम से केवल प्रदेष के महानगरों में नगर बस सेवा संचालन हेतु निजी संचालकों को परिवहन निगम की सर्विसों को अनुपूरण की सीमा तक अनुपूरित करने की अनुमति प्रदान की गई है न कि राष्ट्रीयकरण की योजनाओं को निरस्त करने की अनुमति दी गई और न ही अधिसूचना दिनांक–05.08.1994 के माध्यम से 16.03.1961 की योजना में संचालित सर्विसों के बढ़ाया गया है केवल अनुपूरण की सीमा तक ही संषोधित किया गया है योजनाओं में किसी भी प्रकार के संषोधन का अधिकार केवल राज्य सरकार को प्राप्त है अर्थात् आर0टी0ए0 को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह राष्ट्रीयकरण

की योजनाओं को "लॉ" की संज्ञा दी गई है तथा राष्ट्रीयकरण की योजनाये स्टेटयूटरी प्रभाव रखती है जिसे डिस्टर्ब करने का अधिकार आर0टी0ए0 को प्राप्त नहीं क्योंकि चैपटर–6 की धारा 98 के अनुसार चैपटर–5 के ऊपर ओवराईडिंग इफैक्ट रखता है अर्थात् आर0टी0ए को स्कीम केबाहर जाने का अधिकारी प्राप्त नहीं।

5. आर0टी0ए0 देहरादून द्वारा दिनांक 11.12.09 को नगर बस कार्ययोजना में उल्लिखित सर्वेक्षण समिति के विपरीत सर्वेक्षण कमेटी गठित कर देहरादून–डोईवाला नगर बस मार्ग पर 43 परमिटों की रिक्तियों का आदेष पारित कर दिया गया जो मोटर यान अधिनियम के अध्याय–5 में वर्णित धाराओं के विपरीत है क्योंकि अध्याय–5 में वर्णित धाराओं में आर0टी0ए0 को मार्गों पर परमिट स्वीकृति हेतु रिक्तयों के निर्धारण करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं हैं और न ही राष्ट्रीयकृत मार्गों पर मार्ग वृद्धिकरण का अधिकार प्राप्त है क्योंकि राष्ट्रीयकरण की योजनाों के मार्गों पर नगर बस कार्य योजना के अनुसार 20 कि0मी0 विषेष परिस्थितियों में 25 कि0मी0 तक बस संचालन का ही अधिकार प्राप्त है जो संषोधित अधिसूचना दिनांक 05.08.1994 के माध्यम से दिया गया है

जबकि उसके विपरित आर0टी0ए0 द्वारा बैठक दिनांक 11.12.09 में देहरादून–डोईवाल नगर बस मार्ग को लगभग 27 कि0मी0 अलग–अलग भागों पर एक साथ वृद्धिकृत किया गया है जिसकी अनुमति न तो सिटी बस कार्य योजना और न ही अधिसूचना दिनांक 05.08.1994 एवं मोटर यान अधिनियम की किसी भी धारा में 27 कि0मी0 तक एक साथ वृद्धिकृत किये जाने का प्राविधान नहीं अर्थात् मार्ग वृद्धिकरण विधि विरुद्ध है विधि विरुद्ध आदेष के अनुपालन में जो आर0टी0ए0 के क्षेत्राधिकार के बाहर है मार्ग पर वर्तमान में परमिट प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा।

6. पुराने मोटर यान अधिनियम, 1939 के अनुसार अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट रिक्तियों के निर्धारण का अधिकार आर0टी0ए0 को प्राप्त था परन्तु नये मोटर यान अधिनियम, 1988 में मार्गों पर परमिट रिक्तियों के निर्धारण का अधिकार का प्राविधान नहीं है अध्याय–5 की धारा 70 परमिट प्रार्थना पत्रों के लिये है, धारा 71 परमिट प्रार्थना पत्रों को कन्सीडर करने के लिए है, धारा 72 स्थाई सवारी गाड़ी परमिट को ग्राण्ट करने के लिए तथा धारा 80 में ग्रान्ट का पूर्ण प्रोसिजर दिया गया है अर्थात् अध्याय–5 की किसी भी धारा में आर0टी0ए0 को मार्गों पर परमिटों की संख्याओं के निर्धारण का अधिकार ही प्राप्त नहीं। आर0टी0ए0 देहरादून द्वारा दिनांक 11.12.09 में देहरादून–डोईवाला राष्ट्रीयकृत नगर बस मार्ग पर 43 परमिट रिक्तियों के आधार पर परमिट प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत किया जाना मोटर यान अधिनियम में वर्णित

प्राविधानों के विपरीत एवं क्षेत्राधिकार के बाहर राष्ट्रीयकरण की योजनाओं के विपरीत मोटर यान अधिनियम 1988 के अध्याय–6 की धारा–98, के विपरीत कार्य होगा जो विधि विरुद्ध कहलायेगा।

7. माननीय उच्च न्यायाल द्वारा पारित आदेष दिनांक 10.08.09 के अनुपालन में पैरा 11 में यह व्यवस्था दी गई है कि देहरादून–डोईवाला राष्ट्रीयकृत नगर बस मार्ग पर राष्ट्रीयकरण की योजनाओं दिनांक–16–03–1961 एवं संषोधित योजना दिनांक 05.08.94 में उल्लिखित सर्वियों पर परिवहन निगम के संचालन को अनुपूरित करने के लिए योजना के अनुसार केवल पूर्व में जारी परमिटों/सर्विसों को छोड़कर जो शेष बचती है उन सर्विसों पर ही अनुपूरण की सीमा तक आर0टी0ए0 अनुमति प्रदान कर सकती है परन्तु आर0टी0ए0 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेषों का मंषा अपने अनुकूल यह मानते हुये कि आर0टी0ए0 को यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह राष्ट्रीयकरण की योजनाओं के मार्गों में उल्लिखित सर्विसों को घटा या बढ़ा सकती है का अधिकार प्राप्त नहीं हैं, क्योंकि राष्ट्रीयकरण की योजनाओं में सर्विसों को घटाये या बढ़ाये जाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को मोटर यान के अधिनियम की धारा 102 में प्राप्त है न की यह अधिकार आर0टी0ए0 को प्राप्त है।

उपरोक्त तत्वों के परिपेक्ष में आर0टी0ए0 देहरादून को देहरादून–डोईवाला राष्ट्रीयकृत नगर बस मार्ग पर मोटर यान अधिनियम के अध्याय–5 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार परमिट रिक्तियों के निर्धारण करने का अधिकार प्राप्त नहीं और अध्याय–6 के अनुसार धारा 98 अध्याय–5 पर ओवरराईडिंग प्रभाव रखती है जिसके रहते हुये आर0टी0ए0 को राष्ट्रको राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राष्ट्रीयकरण की योजना दिनांक 16.03.1961 एवं संषोधित योजना दिनांक 05.08.1994 में निर्धारित सर्विसों के विपरीत सर्विस/परमिट घटाये या बढ़ाये जाने का अधिकार प्राप्त नहीं। आर0टी0ए0 केवल योजनाओं में उल्लिखित सर्विसों की सीमा तक ही संषोधित अधिसूचना के अनुसार निजी वाहन स्वामियों के परमिट प्रार्थना पत्रों पर विचार एवं निस्तारित करने का अधिकार प्राप्त है न की सर्विसों को घटा या बढ़ा कर रिक्तियों को निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है यदि आर0टी0ए0 द्वारा राष्ट्रीयकरण की योजनाओं में उल्लिखित सर्विसों के विपरीत तथा अनूपुरण की सीमा के बाहर जा कर परमिट प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जाता है तेा वह विधि एवं समय–समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्थायें जो आर0टी0ए0 के लिये बाध्यकारी प्रभाव रखती है के विपरीत न्याय विरुद्व तथा क्षेत्राधिकार के बार जाकर किया गया कार्य कहलायेगा जो एक्सिस यूज आफ पावर और

जूरिडिक्षन की श्रेणी में आयेगा। मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत जारी नियमावली 1998 की धारा 58(52) के अनुसार आर0टी0ए0 को बिजनेस रुल्स बनाये जाने का अधिकार प्राप्त है आर0टी0ए0 द्वारा बिजनेस रुल्स में भी कोई ऐसा प्राविधान नहीं किया गया है जिससे उसे यह अधिकार हासिल हो की वह राष्ट्रीयकृत मार्गो पर योजनाओं में उल्लिखित परमिट प्रार्थनापत्रों को स्वीकृत करे, नियमावली के नियम 63(1) के प्रोवाईजों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीयकृत मार्गो पर आर0टी0ए0 को परमिट स्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त नही है यदि आर0टी0ए0 द्वारा देहरादून–डोईवाला राष्ट्रीयकृत नगर बस मार्ग पर योजनाओं के विपरीत परमिट स्वीकृत किये जाते हैं तो वह Serious procedural illegality, irregularity and excess use of power of jurisdiction and statory in character which cannot be tinkered with by RTAs and have overriding effect over the powers of RTAs under Chapter V of the Motor Vehicle Act 1988 के प्राविधानों के विपरीत होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि न्यायहित में आपत्ति पत्र में उल्लिखित विधिक प्राविधानों के परिपेक्ष में देहरादून–डोईवाला राष्ट्रीयकृत नगर बस मार्ग पर मोटर यान अधिनियम 1988 के अध्याय–6 की धारा 98 एवं राष्ट्रीयकरण की अधिसूचनाओं दिनांक 16.03.61 मोडिफाईड अधिसूचना दिनांक 08.05.94 में उल्लिखित सर्विसों की सीमा तक निजी वाहन स्वामियों को स्कीम में निर्धारित Ratio के अनुसार

केवल अनुपुरण की सीमा तक ही पूर्व में निर्गत परमिटों/सर्विसों को धटाकर योजना में जितनी सर्विस शेष बचती है केवल उतनी ही सर्विसों/परमिटों पर आर0टी0ए0 द्वारा विचार किया जाना न्यायहित में उचित होगा तथा यदि परिवहन निगम द्वारा अतिरिक्त परमिट प्रार्थना पत्र आर0टी0ए0 के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं तो पहला अधिकारी परमिट स्वीकृत करने का केवल परिवहन निगम का होगा तद अनुसार आपत्ति निस्तारित करने का कष्ट करें।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा देहरादून–डोईवाला–दूधली मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु 08 प्रार्थनापत्र दिये गये हैं। देहरादून–डोईवाला मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों के विवरण परिशिष्ट "**क**" में दिये गये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

:32:

मद सं0–5– **माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट संख्या–178/एमएस/07–श्री नरेन्द्रसिंह गुसाई तथा अन्य में पारित आदेष दिनांक 18.2.10 के अनुपालन में प्रेमनगर–गुलरघाटी मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष :–**

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1996 में पंण्डितवाडी से गूलरघाटी बस सेवा मार्ग वर्गीकृत किया गया था, उसके पष्चात मार्ग का विस्तार पण्डितवाडी से प्रेमनगर तक किया गया । प्रेमनगर से गूलरघाटी तक मार्ग की लम्बाई 24 किमी0 है। प्राधिकरण की विभिन्न बैठकों में मार्ग का विस्तार प्रेमनगर से डूगा –9 किमी0, प्रेमनगर से भाऊवाला–11 किमी0, हर्रावाला से कुंआवाला–1.5 किमी0 मोहकमपुर–माजरी माफी– नवादा– 2.5 किमी0, बालावाला से तुनवाला–3.00 किमी0, गूलरघाटी से नथुवावाला मोड–बालावालाक्रासिंग–5 किमी0, हर्रावाला से नकरौंदा–4.00 किमी0 किया गया था। वर्तमान में इस मार्ग पर 18 बसें संचालित हो रही हैं।

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15.05.06 की बैठक में प्रेमनगर–गुलरधाटी मार्ग पर 22 परमिटों की संख्या निर्धारित की गयी थी तथा मार्ग पर उपलब्ध 4 रिक्तियों के सापेक्ष निम्नलिखित प्रार्थियों को एक–2 सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किया गया था।

1– श्री सुरेन्द्र सिंह राणा पुत्र श्री पूरन सिंह राणा।

2– श्री नरेन्द्र सिंह गुंसाई पुत्र श्री के एस गुंसाई
3– श्रीमती कुसुमलता तथा श्रीमती कमरजहॉ।
4– श्री विषाल थापा पुत्र श्री के बी थापा।

प्राधिकरण के उपरोक्त आदेषों के विरुद्व प्रेमनगर–गुलरधाटी मार्ग के एक परमिट धारक श्री सुरेन्द्र कुमार द्वारा मा0 एसटीए(टी) के समक्ष रिवीजन सं0–3/06 दायर की थी। मा0 एसटीए(टी) ने दिनांक 31.01.07 को रिवीजन का निस्तारण करते हुए जो आदेष पारित किये, उनका मुख्य अंष निम्न प्रकार हैः–

"पुनरीक्षणकर्ता का पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा पारित निर्णय व आदेष दिनांक 15.05.06 के मद संख्या–10(3) जो प्रेमनगर–गुलरधाटी मार्ग से सम्बन्धित है, का निर्णय व आदेष अपास्त किया जाता है।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून को निर्दषित किया जाता है, कि वह प्रेमनगर–गुलरधाटी मार्ग की दषा, प्रतिस्पर्धा, प्रदूषण नियंत्रण का उपाय, ईंधन की उपलब्धता तथा यातायात व्यवस्था का विधिवत सर्वेक्षण कराकर गुण दोष के आधार पर पुनः विपक्षीगण सं0–2 लगायत 6 एवं अन्य सभी आवेदन पत्रों पर विधिसम्वत आदेष पारित करें"।

मा0 एसटीए(टी) के उपरोक्त आदेषों के विरुद्व श्री नरेन्द्र सिंह गुंसाई तथा अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका सं0–एमएस/178/07 दायर की गई थी। इस याचिका का निस्तारण माननीय न्यायालय के आदेष दिनांक 18.02.10 द्वारा किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेष का मुख्य अंष निम्न प्रकार है–

The question whether the survey report has been made by the two officers jointly or not relates to factual aspect of the case, which cannot be examined in exercise of writ jurisdiction. However, the alleged report referred to by the learned STAT was made in the year 2003. Since then more than six yerars have already elapsed and the condition of the road might have been improved by now. Therefore, to meet the ends of justice, the matter deserves to be remanded to the RTA for getting a proper joint survey by the authorities concerned and if any recommendations are made by the joint survey committee, the application of the petitioners may be considered for grant of new permits on the route in question. The learned STAT, while allowing the revision has already remanded the matter to the RTA.

For the reasons and discussion above, the writ petition deserve to be dismissed and is hereby dismissed. The matter is remanded to the RTA, who shall get a joint survey conducted afresh by the authorities concerned, as has already been directed by the STAT, and after receipt of the survey report, if any recommendations are made by them, the applications of the petitioners may be considered afresh for grant of stage carriage permits on the route in question.

:34:

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेषों के अनुपालन में कार्यालय के पत्र सं0–3631/आरटीए/ग्यारह–2281/10 दिनांक 30.03.10 द्वारा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) देहरादून को प्रष्नगत मार्ग पर बसों की आवष्यकता के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करने के पष्चात संयुक्त सर्वेक्षण समिति की आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। उन्होंने अपने पत्र सं0–880/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/10 दिनांक 21.06.10 द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण समिति की आख्या प्रेषित की है। जो निम्न प्रकार हैः–

प्रेमनगर–गुलरधाटी का सर्वेक्षण संयुक्त समिति द्वारा वर्ष 2003 में किया गया था। उक्त मार्ग पर वर्तमान में कई षिक्षण संस्थान एवं फैक्टरी आदि स्थापित हो गये हैं। मार्ग क्षेत्र की आबादी में अत्यधिक वृद्वि हुयी है, जिससे मार्ग पर यात्रियों की संख्या में भी वृद्वि हुयी है। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए जनता का पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर बस के 04 परमिट जारी करने की संस्तुति की जाती है।

इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त– 178 स्थाई तथा 01 अस्थाई प्रार्थना पत्रों का विवरण परिषिष्ट **"ख"** में दिया गया है। अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–6– परेडग्राउन्ड–प्रेमनगर–परवल–बडोवाला तथा सम्बन्धित मार्ग–

परेडग्राउन्ड–प्रेमनगर–परवल–बडोवाला मार्ग की लम्बाई 20 किमी है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में इस मार्ग का विस्तार प्रेमनगर से शुक्लापुर–अम्बीवाला–आरकेडिया ग्रान्ट–मिठी बेरी तथा ठाकुरपुर–लक्ष्मीपुर–ष्यामपुर तक किया गया है।

विस्तारित मार्ग की लम्बाई 5 किमी है। वर्तमान में इस मार्ग पर 16 परमिट वैध हैं तथा 16 बसों का संचालन मार्ग पर हो रहा है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने अपने पत्र सं–38/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2010 दिनांक 09.03.10 द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण समिति की आख्या प्रेषित की है। संयुक्त सर्वेक्षण समिति ने उपरोक्त मार्ग पर 05 परमिटों की संख्या बढाये जाने की संस्तुति की है।

इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में मद सं0–5(3) के अन्तर्गत विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था। इस मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व परिवहन निगम द्वारा यह आपत्ति की गई थी कि इस मार्ग का देहरादून से प्रेमनगर तक का मार्ग भाग राष्ट्रीयकृत मार्ग का भाग है यदि मार्ग पर परमिट जारी किये जाते हैं तो पहले परिवहन निगम को वाहन संचालन के लिये कहा जाय, यदि परिवहन निगम इस मार्ग पर बस संचालन न करे तो निजी आपरेटरों को बस संचालन हेतु परमिट दिये जायें। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निम्न आदेष पारित किये थे।

"प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि इस मार्ग पर परिवहन निगम से भी परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ले लिये जायें एवम् प्राधिकरण की आगामी बैठक में इन रिक्तियों के सापेक्ष परमिट देने पर विचार किया जायेगा, जिसमें परिवहन निगम को प्राथमिकता दी जायेगी। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को स्थगित किया जाता है तथा इन प्रार्थना पत्रों को परिवहन निगम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा"।

परिवहन निगम द्वारा उपरोक्त मार्ग के लिये 10 परमिट फ्लीट आर्नर के रुप में जारी करने हेतु प्रार्थनापत्र दिये हैं। इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त–77 प्रार्थना पत्रों के विवरण परिषिष्ट–**ग** में दिये गये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–7– **आई0एस0बी0टी0–परेडग्राउन्ड–सहस्त्रधारा मार्ग–**

आई0एस0बी0टी0–परेडग्राउन्ड–सहस्त्रधारा मार्ग की लम्बाई 30 किमी0 है। वर्तमान में इस मार्ग पर 20 परमिट वैध हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने अपने पत्र सं–175/प्रवर्तन/ मार्ग सर्वेक्षण/08 दिनांक 24.12.08 द्वारा संयुक्त

सर्वेक्षण समिति की आख्या प्रेषित की है। संयुक्त सर्वेक्षण समिति ने उपरोक्त मार्ग पर 04 परमिटों की संख्या बढाये जाने की संस्तुति की है।

इस मार्ग पर परमिट जारी करने हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में प्रस्तुत किया गया था। इस मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व परिवहन निगम द्वारा यह आपत्ति की गई थी कि इस मार्ग का देहरादून से सहस्त्रधारा राष्ट्रीयकृत मार्ग है यदि मार्ग पर परमिट जारी किये जाते हैं तो पहले परिवहन निगम को वाहन संचालन के लिये कहा जाय, यदि परिवहन निगम इस मार्ग पर बस संचालन न करे तो निजी आपरेटरों को बस संचालन हेतु परमिट दिये जायें। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निम्न आदेष पारित किये थे।

"प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस मार्ग पर परिवहन निगम से भी परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ले लिये जायें एवम् प्राधिकरण की आगामी बैठक में इन रिक्तियों के सापेक्ष परमिट देने पर विचार किया जायेगा, जिसमें परिवहन निगम को प्राथमिकता दी जायेगी। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को स्थगित किया जाता है तथा इन प्रार्थना पत्रों को परिवहन निगम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा"।

परिवहन निगम द्वारा उपरोक्त मार्ग के लिये 05 परमिट फ्लीट आर्नर के रुप में जारी करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया है। इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त–120 प्रार्थना पत्रों के विवरण परिषिष्ट– **"घ"** में दिये गये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–8 राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग–

राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग की लम्बाई 35 किमी है। वर्तमान में इस मार्ग पर 30 स्थाई तथा 4 अस्थाई सवारी गाडी परमिट वैध हैं तथा 30 बसों का संचालन मार्ग पर हो रहा है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने अपने पत्र सं–880/प्रवर्तन/ मार्ग सर्वेक्षण/10 दिनांक 21.06.10 द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण समिति की आख्या प्रेषित की है। जो निम्न प्रकार हैः–

संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा पूर्व में वर्ष 2005 में राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग का सर्वेक्षण किया गया था। उक्त अवधि के पष्चात मार्ग क्षेत्र की आबादी में वृद्वि हुयी है। इसके अतिरिक्त मार्ग पर कई षिक्षण संस्थान आदि स्थापित हुये हैं, जिससे मार्ग पर यात्रियों की संख्या में वृद्वि हुयी है, जिस हेतु अतिरिक्त बस सेवाओं की आवष्यकता है। अतः मार्ग पर यात्रियों को पर्याप्त परिवहन सुविधा प्रदान करने हेतु नगर बस के 04 परमिट जारी करने की सुस्तुति की जाती है। (पुलिस अधीक्षक, यातायात देहरादून ने जो संयुक्त सर्वेक्षण समिति के अध्यक्ष हैं ने यह टिप्पणी की है कि अत्यधिक व्यस्त मार्ग होने के कारण केवल 02 बसों के परमिट की संस्तुति की जाती है।)

इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था। इस मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व परिवहन निगम द्वारा यह आपत्ति की गई थी कि इस मार्ग का राजपुर–क्लेमेन्टाउन राष्ट्रीयकृत मार्ग है यदि मार्ग पर परमिट जारी किये जाते हैं तो पहले परिवहन निगम को वाहन संचालन के लिये कहा जाय, यदि परिवहन निगम इस मार्ग पर बस संचालन न करे तो निजी आपरेटरों को बस संचालन हेतु परमिट दिये जायें। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निम्न आदेष पारित किये थे।

"प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस मार्ग पर परिवहन निगम से भी परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ले लिये जायें एवम् प्राधिकरण की आगामी बैठक में इन रिक्तियों के सापेक्ष परमिट देने पर विचार किया जायेगा, जिसमें परिवहन निगम को प्राथमिकता दी जायेगी। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को स्थगित किया जाता है तथा इन प्रार्थना पत्रों को परिवहन निगम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा"।

परिवहन निगम द्वारा उपरोक्त मार्ग के लिये 10 परमिट फ्लीट आर्नर के रुप में जारी करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया है। प्राधिकरण को यह भी अवगत करना है कि इस मार्ग पर 04 अस्थाई सवारी गाडी परमिट निजी वाहन स्वामियों को परिचालन पद्वति से पारित आदेषों के अनुपालन में जारी किये गये हैं। इस मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त–102 प्रार्थना पत्रों के विवरण परिषिष्ट– **"च"** में दिये गये हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद संख्या–9 **श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री नरेष कुमार की बस संख्या यूए07एम–9385 मॉडल–2006 को प्रेमनगर–चौकी धोलास मार्ग का स्थाई परमिट जारी करने के सम्बन्ध में।**

प्रेमनगर–चौकी धौलास मार्ग की लम्बाई 14 किमी0 है। वर्तमान में इस मार्ग पर 02 परमिट वैध हैं, जिनमें से एक पर ही बस संचालित है। स्थाई परमिट संख्या पीएसटीपी–1716 दिनांक 28.04.08 से वाहन संचालन न होने के कारण उसके स्थान पर श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री नरेष कुमार, ए–4 बाडिया कालोनी विवेक विहार जीएमएस रोड, देहरादून को उनकी बस संख्या यूए07एम–9385 के लिए अस्थाई परमिट जारी किया गया है। प्रार्थिनी ने दिनांक 08.09.10 को उक्त मार्ग का स्थाई परमिट जारी करने का निवेदन किया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून ने अपने पत्र सं–175/प्रवर्तन/ मार्ग सर्वेक्षण/08 दिनांक 24.12.08 द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण समिति की आख्या प्रेषित की है। संयुक्त सर्वेक्षण समिति ने उपरोक्त मार्ग पर 02 परमिटों की संख्या बढाये जाने की संस्तुति की है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद संख्या–10– प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में विभिन्न मार्गो पर स्वीकृत नगर बस सेवा परमिट प्राप्त करने हेतु समय बढाने तथा स्वीकृत परमिट पुरानी वाहनों से प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेष–

1– श्रीमती बबीता देवी सोनकर को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में संकल्प सं0– 5(2) द्वारा डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी नगर बस मार्ग का एक स्थाई सवारी गाडी परमिट अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया है कि परमिट नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.08.10 तक जारी किया जायेगा। इसके पष्चात स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि प्रार्थिनी देहरादून–डोईवाला नगर बस मार्ग के उन 46 परमिट धारकों में से एक है, जिनके परमिट की स्वीकृति को निगरानी संख्या– 01/09 व 02/09 में मा0 राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड द्वारा पारित आदेष दिनांक 15.05.09 में निरस्त किया गया था। उक्त परमिट निरस्त हो जाने पर परमिट से आच्छादित वाहन संख्या यूके07पीए–0466 दिनांक 05.12.09 से प्रार्थिनी के थाना कैन्ट–परेड ग्राउन्ड नगर बस मार्ग के स्थाई सवारी गाडी परमिट संख्या–पीएसटीपी 2039 पर संचालित की जा रही है।

प्रार्थिनी को पुनः सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में राजधानी की नगर बस सर्विस होने के कारण प्रदूषण मुक्त, सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराने व दुर्धटनाओं की न्यूनतम सम्भावनों के द्ष्टिगत डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी मार्ग का परमिट नई वाहन के लिऐ स्वीकृत किया गया है।

प्रार्थिनी श्रीमती बबीता देवी ने अपने पत्र प्रार्थनापत्र दिनांक 30.07.10 द्वारा निवेदन किया है कि, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे स्वीकृत परमिट नई वाहन पर प्राप्त कर सकें। उन्होंने डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी मार्ग के स्वीकृत परमिट को वाहन सं–यूके07पीए–0466 माडल–2009 पर जारी करने का निवेदन किया है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

2– श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री रतन लाल, 196 चुक्खुवाला, देहरादून को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में संकल्प सं0–5(1) में थाना कैन्ट–परेड ग्राउन्ड मार्ग का एक स्थाई सवारी गाडी परमिट अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया है कि परमिट नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.08.10 तक जारी किया जायेगा। इसके पष्चात स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 28.09.10 द्वारा स्वीकृत परमिट पांच वर्ष पुरानी वाहन से प्राप्त करेन के लिये प्रदान करने का निवेदन किया है।

3– कु0 श्वेता, पुत्री श्री हुकुम चन्द्र, 1/77, चुक्खुवाला, देहरादून को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में संकल्प सं0–5(4) में कौलागढ–विधानसभा तथा सम्बन्धित नगर बस मार्ग का एक स्थाई सवारी गाडी परमिट अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत इस शर्त के साथ स्वीकृत किया गया है कि परमिट नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.08.10 तक जारी किया जायेगा। इसके पष्चात स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 28.09.10 द्वारा सूचित किया है कि देहरादून में चैसिस उपलब्ध कराने वाली कम्पनी टाटा मोटर्स के पास अभी चैसिस उपलब्ध नहीं है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनके पास पुरानी वाहन सं0–यूए11–0708 माडल–2006 उपलब्ध है। उन्होंने स्वीकृत परमिट पांच–छह वर्ष पुरानी वाहन से प्राप्त करने हेतु दो माह का समय प्रदान प्राप्त करने की प्रार्थना की है।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत करना है कि परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेष के पत्र सं0–1835 एसटीए/2000 दिनांक 03.06.2000 के अनुपालन में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.08.2000 में स्वीकृत परमिटों को प्राप्त करने हेतु समय बढाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार नीति निर्धारित की गई थी।

1– स्टैज कैरेज परमिट के मामलों में यदि प्रार्थी स्वीकृत निर्धारित अवधि में परमिट उठाने में असफल रहता है तो निर्धारित अवधि के पष्चात रु0 1000/–(एक हजार) प्रति माह विलम्ब शुल्क देकर स्वीकृत परमिट उठा सकेगा। पार्ट माह के लिये भी पूरे माह का विलम्ब शुल्क दिया जायेगा। परमिट उठाने की सामान्य अवधि दो माह मानी जायेगी, बषर्ते कि प्राधिकरण ने कोई विषिष्ट आदेष न किये हों। एक वर्ष के पष्चात परमिट स्वीकृत का आदेष स्वतः समाप्त हो जायेगा।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–11– टिहरी तथा उत्तरकाषी जनपदों में नवनिर्मित मोटर मार्गों तथा हल्के वाहन मार्गों को यातायात के लिये खोलने के सम्बन्ध में विचार व आदेष–

जनपद टिहरी के नवनिर्मित मार्ग–

1. अंजनीसैण–पुनाणु मोटर मार्ग–13.5 किमी0
2. जाखणीधार–गराकोट–पौडीखाल मोटर मार्ग के किमी 11 में स्थित गन्दोली तोक से काण्डाडांगी मोटर मार्ग–5 किमी0

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नई टिहरी ने अपने पत्रः 205/रोड सर्वे/2010 दिनांक 30.07.10 द्वारा सूचित किया है कि उपरोक्त मार्ग का सर्वेक्षण उनके द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता, लो0नि0वि0 नई टिहरी के साथ किया गया। मार्ग सभी प्रकार की वाहनों के यातायात संचालित करने हेतु उचित पाया गया।

3. डांग–मुलाणा ह0वा0 मार्ग 1.250 किमी0
4. किलकिलेष्वर–सिल्काखाल–चोनीखाल मोटर मार्ग 7 किमी0

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, नई टिहरी ने अपने पत्रः 272/रोड सर्वे/2010 दिनांक 25.08.10 द्वारा सूचित किया है कि उपरोक्त मार्ग का सर्वेक्षण उनके द्वारा सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0 कीर्तिनगर के साथ किया गया। मार्ग सभी प्रकार की वाहनों के यातायात संचालित करने हेतु उचित पाया गया।

जनपद उत्तरकाषी के नवनिर्मित मार्ग–

1. धौन्तरी से सीरी गांव तक–6.25 किमी0

सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाषी ने अपने पत्र सं0–949/प्रषासन/यातायात परमिट/10 दिनांक 05.08.10 द्वारा सूचित किया है कि उक्त मार्ग का संयुक्त निरीक्षण 31.07.10 को उपजिलाधिकारी डुण्डा, सहायक अभियंता, सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0 उत्तरकाषी तथा अवर अभियंता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाषी के साथ किया गया। मार्ग पर पायी गई कमियों के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता को अवगत कराया गया, उनके द्वारा कार्य को शीध्र पूर्ण करने का आष्वासन दिया गया। उन्होंने मार्ग को यातायात हेतु खोलने की संस्तुति की है।

मद सं0–12 कु0 जाहिदा पुत्री श्री बाबू खान, बी–119, नेहरु कालोनी, देहरादून के प्रार्थना पत्र दिनांक 31–08–10 पर विचार व आदेष–

कु0 जाहिदा को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में देहरादून केन्द्र से एक आटोरिक्षा परमिट निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किया गया था–

1–आवेदक देहरादून का निवासी हो इस हेतु मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2–आवेदक बेरोज़गार हो।

3–आवेदक के पास पूर्व में निर्गत कोई परमिट न हो।

4–आवेदक के पास में हल्का वाणिज्यिक मोटर वाहन चलाने का चालक लाईसेंस हो।

5–परमिट एल0पी0जी0 चालित नई ऑटोरिक्षा वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जाएगा।

6–परमिट को परमिट धारक न्यूनतम 3 वर्षों तक किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

7–स्वीकृत परमिट दिनांक 31.01.2010 तक एल0पी0जी0 चालित नई ऑटोरिक्षा वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा, तत्पष्चात् स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएगी।

कु0 जाहिदा ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.03.10 द्वारा निवेदन किया था कि वे विकलांग हैं और लाइसेन्स धारक नहीं है और उनको लाइसेन्स की शर्त में छूट देते हुऐ आटो रिक्षा परमिट जारी किया जाय। इस प्रार्थना पत्र को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में मद सं0–13(स) द्वारा विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण ने प्रार्थिनी को चालक लाइसेन्स में छूट देते हुऐ दिनांक 31.08.10 तक परमिट एलपीजी चालित नई वाहन से प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

प्रार्थिनी ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 31.08.10 द्वारा निवेदन किया है कि उनको बैंक से ऋण मिलने में विलम्ब होने के कारण दिये गये समय में परमिट प्राप्त नहीं कर सकी हैं तथा निवेदन किया है कि परमिट प्राप्त करने हेतु दिनांक 20.09.10 तक का समय प्रदान किया जाय। इलाहाबाद बैंक नेहरु कालोनी द्वारा उनके प्रार्थनापत्र में आटोरिक्षा के लिये 1,10,000/– लोन स्वीकृत करने की पुष्टि की गई है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–13 श्री जगबीर सिंह मान पुत्र श्री लाल सिंह मान, 112 बाडी गार्ड, राजपुर रोड, देहरादून के प्रार्थनापत्र दिनांक 18.09.10 पर विचार व आदेष–

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 के संकल्प सं0–27(क) में श्री एच0 के0 अग्रवाल के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–1733 का नवीनीकरण रु0 10,000/– प्रषमन शुल्क के साथ स्वीकृत करते हुऐ आदेष पारित किये थे कि परमिट धारक स्वीकृत नवीनीकरण नई 4 पहिये वाली 7 सीटर यूरो 3 मानक वाली 02 सिलेण्डर वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत कर दिनांक 31.01.10 तक प्राप्त करेंगे। प्राधिकरण द्वारा पारित आदेषों के अनुसार परमिट धारक ने टाटा मैजिक वाहन सं0–यूके07टीए–2708 पंजीयन कराकर परमिट जारी करने हेतु निवेदन किया गया था।

परमिट धारक श्री एच0 के0 अग्रवाल के आवेदन पर कार्यालय द्वारा उक्त वाहन हेतु देहरादून केन्द्र से 25 किमी0 रेडियस हेतु परमिट सं0–पी0को0पी0–4751 दिनांक 23.02.10 से 22.05.15 तक के लिये जारी किया गया था। यह परमिट दिनांक 30.06.10 को श्री जगबीर सिंह मान पुत्र श्री लाल सिंह मान के नाम हस्तांतरण किया गया ळें

श्री जगबीर सिंह मान ने दिनांक 18.09.10 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुऐ निवेदन किया है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में देहरादून केन्द्र के विक्रमों का रिप्लेसमेन्ट 4 पहिये वाली वाहन से करने के निर्देष दिये थे, परन्तु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में टैम्पो परमिटों पर विक्रम टैम्पो वाहनों से प्रतिस्थापन किये जाने के आदेष दिये गये हैं। इसलिये उनको जारी परमिट पी0को0पी0 4751 में भी विक्रम टैम्पो से प्रतिस्थापन करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–14 सचिव, कौलागढ–विधानसभा सिटी बस एसोसिएषन, देहरादून के प्रार्थनापत्र दिनांक 29.09.10 पर विचार व आदेष

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून द्वारा एक सिटी बस मार्ग कौलागढ–विधानसभा वाया बल्लूपुर–बल्लूपुर चौक–बल्लीवाला चौक–जीएमएस रोड–सब्जी मंडी–लालपुल–महन्त इन्दरेष अस्पताल–कारगी चौक–रिस्पना पुल वर्गीकृत किया गया था। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के बाद अपने पत्र सं0– 2200/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/09 दिनांक 21.10.09 द्वारा आख्या प्रेषित की थी कि कौलागढ–विधानसभा मार्ग का विस्तार जनहित में ओएनजीसी चौक से राजेन्द्र नगर–किषन नगर चौक–बिन्दाल पुल–कनाट प्लेस–धण्टाघर–ऐस्ले हाल–परेड ग्राउन्ड–दर्षन लाल चौक–प्रिन्स चौक–रेलवे स्टेषन होते हुऐ लालपुल तक किया जाना उचित होगा। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में इस मार्ग के विस्तार के सम्बन्ध में विचारोपरान्त प्राधिकरण ने मार्ग का विस्तार ओएनजीसी चौक से धण्टाघर होते हुऐ रेलवे स्टेषन तक करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। इस मार्ग पर वर्तमान में 06 स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी किये गये हैं।

मार्ग यूनियन के सचिव ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 29.09.10 द्वारा सूचित किया है कि उनके मार्ग पर लालपुल से कारगी चौक तक बहुत कम आबादी है। मार्ग के इस भाग की दूरी लगभग 2 किमी0 है। मार्ग पर सवारियों की संख्या बहुत कम है। जिस कारण से इस मार्ग से वाहन संचालित करने में उनको आर्थिक हानि हो रही है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनके मार्ग का सब्जी मंडी मोड से लालपुल–महन्त इन्दरेष हास्पीटल होते हुऐ कारगी चौक तक, जिसकी दूरी लगभग 2.50 किमी0 है, मार्ग को परमिट में से काट दिया जाय और रेलवे स्टेषन से लालपुल–सब्जी मंडी होते हुऐ आईएसबीटी तक मार्ग का विस्तार कर दिया जाय, जिसकी दूरी लगभग 4.5 किमी0 है।

मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधानसभा ने अपने पत्र दिनांक 29.08.10 द्वारा अवगत कराया गया है कि राजेन्द्र नगर–रामबिहार'–सिरमौर मार्ग आदि क्षेत्र के निवासियों को धण्टाघर–रेलवे स्टेषन–आईएसबीटी जाने तक कोई सार्वजनिक बस सेवा उपलब्ध नहीं है, जिससे क्षेत्रवासियों को असुविधा का सामना करना पड रहा है। मा0 अध्यक्ष महोदय ने अपने पत्र में कहा है कि यह उचित होगा कि कौलागढ से राजेन्द्र नगर–धण्टाघर–रेलवे स्टेषन–आईएसबीटी हेतु कोई नया रुट निर्धारित किया जाय और इस पर सार्वजनिक बस चलाई जाय। इसके अतिरिक्त राजेन्द्र नगर रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएषन ने अपने पत्र दिनांक 04.10.10 द्वारा सूचित किया है कि कई महिनों से कौलागढ से किषन नगर होते हुऐ बस सेवा संचालित नहीं हो रही है। उन्होंने निवेदन किया है कि मार्ग की बसों को राजेन्द्र नगर–किषन नगर–धण्टाधर तक संचालित किया जाय।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि कौलागढ–विधानसभा नगर बस मार्ग बल्लूपुर–जीएमरोड–सब्जीमंडी –लालपुल– महन्त इन्दरेष हास्पीटल–कारगी चौक होते हुऐ विधानसभा तक निर्धारित किया गया था। इसके बाद दिनांक 07.07.09 को परिचालन पद्वति से सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा इस मार्ग का विस्तार सब्जी मंडी से आईएसबीटी होते हुऐ कारगी चौक तथा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में ओएनजीसी चौक से राजेन्द्र नगर–किषन नगर–कनाट प्लेस–धण्टाघर–ऐस्लेहाल–परेड ग्राउन्ड–दर्षनलाल चौक–प्रिन्स चौक होते हुऐ रेलवे स्टेषन तक किया गया है। अब मार्ग यूनियन ने मार्ग का विस्तार रेलवे स्टेषन से लालपुल–सब्जी मंडी–आईएसबीटी तक करने तथा सब्जी मंडी मोड से लालपुल–महन्त इन्दरेष हास्पीटल होते हुऐ कारगी चौक तक मार्ग, जिसकी दूरी लगभग 2.50 किमी0 है, को परमिट में से काट दिये जाने का निवेदन किया है, ताकि राजेन्द्र नगर, किषन नगर आदि क्षेत्र की जनता को आईएसबीटी आवागमन हेतु सीधी बस सेवा उपलब्ध हो सके।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

:46:

मद संख्या–15 डोईवाला केन्द्र से 25 किमी0 अर्धव्यास क्षेत्र के लिये विक्रम टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचार व आदेष–

डोईवाला क्षेत्र के निम्नलिखित 10 प्रार्थियों (क्रम सं0 1 से 10) द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड को सम्बोधित प्रतिवेदन आयुक्त महोदय के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अपने प्रत्यावेदन में उनके द्वारा यह कहा गया है कि वे डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्रों के पढ़े–लिखे बेरोजगार व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी व अपने परिवार की आजीविका चलाने हेतु डोईवाला केन्द्र से विक्रम टैम्पो परमिट जारी करने का निवेदन किया गया है।

डोईवाला केन्द्र के विक्रम थ्री व्हीलर एसोसिएषन के अध्यक्ष ने भी अपने पत्र दिनांक 01.10.10 द्वारा सूचित किया है कि विगत कई वर्षो से डोईवाला केन्द्र के परमिट जारी नहीं किये गये हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि विक्रम एसोसिएषन को व्रिकम परमिट जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है। नये परमिट जारी करने पर स्थानीय लोगों को रोजगार का लाभ मिलेगा।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि वर्तमान में डोईवाला केन्द्र से 328 परमिट वैध है। इस केन्द्र से संचालित विक्रम टैम्पो वाहनों को रिस्पना पुल से आगे देहरादून शहर में प्रवेष प्रतिबन्धित है। वर्तमान में डोईवाला केन्द्र से संचालित विक्रम टैम्पो वाहनों के लिये 15 वर्ष की माडल सीमा निर्धारित की गई है। अतः डोईवाला केन्द्र के लिये निर्धारित माडल सीमा का पुनःनिर्धारण करने के सम्बन्ध में भी विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों के विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	प्रार्थना पत्र की तिथि	आवेदक का नाम/पता
1.	04.10.10	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री नानक चन्द, 128 रानीपोखरी ग्रान्ट, देहरादून।
2.	–तदैव–	श्री बलराम सिंह पुत्र श्री चमन सिह ग्राम गोविन्दवाला भोगपुर देहरादून।
3.	–तदैव–	श्री मलखान सिह पुत्र श्री लेखराज ग्राम धमण्डपुर रानीपोखरी देहरादून।
4.	–तदैव–	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रोषन सिंह ग्राम सांरगधरवाला भोगपुर देहरादून।
5.	–तदैव–	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री पदम सिह भोगपुर देहरादून।
6.	–तदैव–	श्री राकेष गोयल पुत्र श्री देवी लाल गोयल धमण्डपुर रानीपोखरी देहरादून।
7.	–तदैव–	श्री पीयूष तोमर पुत्र श्री प्रेमसिंह तोमर 65 तरली जौली जौलीग्रान्ट देहरादून।

8.	–तदैव–	श्री राजेष सिंह मनवाल पुत्र श्री पदम सिंह 166 जौली ग्रान्ट देहरादून।
9.	–तदैव–	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री रामअवतार 190 मिस्सरवाला देहरादून।

10.	–तदैव–	श्री मकान सिंह पंवार पुत्र श्री बीरबल सिंह 53 जौलीग्रान्ट देहरादून।
11.	20.08.10	श्री राकेष सेठी पुत्र स्व0 श्री हुकम चन्द सेठी, 48 ईदगाह, कुम्हार मंडी, दे0दून
12.	04.10.10	श्री संदीप कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाष 28 बी कण्डोली देहरादून।
13.	–तदैव–	श्री रुपेष सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जौलीग्रान्ट देहरादून।
14.	–तदैव–	श्री अरविन्द चन्द पुत्र श्री सुभाष चन्द 15 सी कालीदास रोड देहरादून।
15.	–तदैव–	श्री सुदेष सिंह पुत्र श्री चंदन सिंह 3/9 रविन्द्रपुरी, हाथीबड़कला, देहरादून।
16.	–तदैव–	श्री धमेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री एस एम एस चौहान रानीपोखरी देहरादून।
17.	–तदैव–	श्रीमती संतोष डोगरा पत्नी श्री अविनाष डोगरा चुक्खुवाला, देहरादून।
18.	–तदैव–	श्री मनीष डोगरा पुत्र श्री अविनाष डोगरा चुक्खुवाला, देहरादून।
19.	–तदैव–	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री दलीप सिंह मियांवाला, देहरादून।
20.	–तदैव–	श्री विनोद सोनकर पुत्र श्री श्याम सोनकर चुक्खुवाला, देहरादून।
21.	–तदैव–	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री हरिमोहन सिंह, घमनपुर रोड, देहरादून।
22.	–तदैव–	श्री रवि पुत्र श्री डी0एन0 सोनकर 254, गोपालनगर, ढालवाला, ऋषिकेष।
23.	–तदैव–	श्री मो0 कासिम पुत्र श्री दीन मोहम्मद लाईन जीवनगढ़ विकासनगर, देहरादून।
24.	–तदैव–	श्री नवीन कटियार पुत्र श्री राम सिंह कटियार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
25.	–तदैव–	श्री पंकज पाण्डेय पुत्र स्व श्री बी एल पाण्डेय,रेषम मांजरी, डोईवाला देहरादून।
26.	–तदैव–	श्री मनप्रीत सिंह पुत्र श्री स्व श्री खजान सिंह 24 जाखन देहरादून।

इस मद के अन्तर्गत देहरादून संभाग के विभिन्न केन्द्रों के विक्रम टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि देहरादून शहर में विक्रम वाहनों से हो रहे वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में समय–समय पर विभिन्न याचिकायें/वाद योजित हुए हैं, जिसमें निम्नलिखित आदेष दिये गये हैं :–

1. माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट **पिटीसन सं0–8209 व 8821 वर्ष 1983** रूरल लिटिगेषन एण्ड इन्टायटलमेंट केन्द्र, देहरादून बनाम उत्तर प्रदेष राज्य एवं अन्य के क्रम में देहरादून शहर में विक्रम वाहनों से हो रहे वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्यवाही हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट मॉनेटरिंग कमेटी का गठन किया गया।

- सुप्रीम कोर्ट मॉनेटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 13–10–1997 में विक्रम वाहनों से हो रहे वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, देहरादून द्वारा यह अवगत कराते हुए '' कि देहरादून शहर में मुख्य रूप से प्रदूषण विक्रम वाहनों से फैलाया जा रहा है और इन वाहनों के कारण समय–समय पर ट्रैफिक जाम भी लग जाता है, जिससे ईंधन व समय की बरबादी होती है। अपने पत्र में विक्रम वाहनों से हो रहे वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में सुझाव दिये थे। उनमें से प्रमुख यह था कि :–
  - ◊ भविष्य में विक्रमों के परमिट जारी न किये जांय।
  - ◊ यदि इस सम्बन्ध में जल्दी कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो इसस काफी खतरा होने की संभावना होगी और शहर में प्रदूषण बढ़ेगा। ट्रैफिक जाम में अमूल्य समय नष्ट होगा, ईंधन की बरबादी होगी तथा प्रदूषण होने से बीमारियां बढेंगी और शहर वासियों की आयु घटेगी।"

- माननीय सुप्रीम कोर्ट मॉनेटरिंग कमेटी के आदेषों के क्रम में उक्त सुझावों को संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून की बैठक दिनांक 08–05–98 में विचार हेतु रखा गया। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिये गये :
    1. विक्रम वाहनों की आयु सीमा 07 वर्ष निर्धारित की गयी।
    2. विक्रम वाहनों को नये परमिट जारी करने के सम्बन्ध में बताया गया कि वर्ष 1997 से विक्रम वाहनों के नये परमिट जारी नहीं किये जा रहे हैं।
- विक्रम वाहनों से हो रहे वायु प्रदूषण के दृष्टिगत विक्रम वाहनों के परमिटों हेतु समय–समय पर प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत किया गया है, जिसकी पुष्टि संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 01–03–1997, 29–07–1997, 17–10–1997 एवं 08–05–1998 एवं तत्पष्चात हुयी अन्य बैठकों के कार्यसूची से होती है।
- सुप्रीम कोर्ट मॉनेटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 25–03–2003 में विक्रम वाहनों से हो रहे वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्नलिखित आदेष दिये गये हैं :–

  राज्य सरकार से अनुरोध किया जाता है कि वे विक्रम वाहनों को सीएनजी/एलपीजी चालित वाहनों में परिवर्तित करने हेतु अविलंब योजना बनायें।

2– देहरादून शहर में हो रहे वायु प्रदूषण आदि समस्याओं के सम्बन्ध में माननीय लोकायुक्त, उत्तराखण्ड के समक्ष **श्री अतुल पुण्डीर एवं अन्य द्वारा वाद संख्या–160/2003 योजित किया गया।** इस सम्बन्ध में माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा समय–समय पर निम्नलिखित आदेष दिये गये हैं :–

- माननीय लोकायुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 20–05–2003 एवं 25–08–03 में विक्रम वाहनों से हो रहे प्रदूषण नियंत्रण हेतु आदेष दिये गये :–विभिन्न केन्द्रों के विक्रम वाहनों का रंग निर्धारित किया जाय, विक्रमों के लिए स्टॉपेज की व्यवस्था की जाय, विक्रम वाहनों के लिए पार्किंग स्थल बनाया जाय ताकि वे पार्किंग स्थल से बारी–बारी से चलें, 07 वर्ष पश्चात विक्रम वाहनों को **बैटरी चालित वाहनों से प्रतिस्थापित किया जाय**, विक्रम वाहनों में वेट स्क्रबर लगाये जांय, तथा **एल0पी0जी0 किट लगाकर संचालित किया जाय**।

3– देहरादून शहर में हो रहे वायु प्रदूषण, अतिक्रमण आदि समस्याओं के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल में **जनहित याचिका संख्या–283/2004** योजित हुयी, जिसमें समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत आदेष दिये गये हैं :–

- दिनांक 16–04–04 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेष :

  '' The Director Gen. of Police, the Home Sec. and the Transport Sec. of the state of Uttaranchal shall also hold meeting with the taxi-tempo Unions and will finalise the scheme to change the Vikram vehicles into C.N.G. to check the pollution increase in the city. ''

- दिनांक 05–07–004 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेष :

  '' Court passed orders to solve the problems of the people faced by then on account of traffic hazard as well as pollution because of vikram being plied by diesel and other vehicles plying in the city.''

- दिनांक 16–07–04 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेष :

  '' It was reported by the learned amicus curiae that more than 1000 vikram vehicles are being plied by diesel which have raised the pollution in the city to a great extent. Learned amicus curiae drew attention of the court towards eradication of traffic hazard in the city and the court has directed the authorities to change vikram into CNG/LPG/Battery operated vehiles for which the authorities have sought six month time which was granted by the court. ''

सुप्रीम कोर्ट मॉनेटरिंग कमेटी, माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल एवं माननीय लोकायुक्त उत्तराखण्ड द्वारा उपरोक्त संदर्भित वादों/याचिकाओं में समय–समय पर पारित आदेषों के क्रम में विक्रम वाहनों को एल0पी0जी0 से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है।

- विक्रम वाहनों को एल0पी0जी0 चालित विक्रम से प्रतिस्थापित/परिवर्तित किये जाने हेतु स्कूटर इंडिया लिमिटेड से सम्पर्क किया गया। स्कूटर इंडिया लिमिटेड द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा एल0पी0जी0 चालित विक्रम 600–जी मॉडल तैयार किया गया है तथा वह विक्रम वाहनों की आपूर्ति हेतु तैयार है।

- माननीय उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट मॉनेटरिंग कमेटी/माननीय लोकायुक्त कार्यालय में योजित उक्त वादों/याचिकाओं में विभाग द्वारा विक्रम वाहनों को एल0पी0जी0 से चलाये जाने के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर/शपथ पत्र में कहा गया था कि वर्तमान में एल0पी0जी0 फिलिंग स्टेषन की स्थापना न होने के कारण विक्रम वाहनों को एल0पी0जी0 से संचालित किया जाना संभव नहीं है।
- विक्रम वाहनों के लिए एल0पी0जी0 की आपूर्ति हेतु देहरादून शहर के चार मार्गों हरिद्वार मार्ग, सहारनपुर मार्ग, चकराता मार्ग एवं राजपुर रोड़ पर फिलिंग स्टेषन बनाने की परिवहन विभाग द्वारा संस्तुति की गयी थी। वर्तमान में हरिद्वार मार्ग पर मोहकमपुर के निकट एल0पी0जी0 फिलिंग स्टेषन का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा एल0पी0जी0 फिलिंग का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसके अतिरिक्त चकराता रोड़ पर बल्लूपुर चौक के निकट आर्षीवाद पैट्रोल पम्प में एल0पी0जी0 फिलिंग स्टेषन की स्थापना का कार्य चल रहा है।
- माननीय उच्च नैनीताल की जनहित याचिका संख्या–283/04 में विभाग द्वारा विक्रम वाहनों को एल0पी0जी0 चालित वाहनों में परिवर्तित/प्रतिस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, देहरादून को कार्ययोजना तैयार कर प्रेषित् की गयी थी, जिसके अनुसार फिलिंग स्टेषन की स्थापना के साथ ही विक्रम वाहनों को एल0पी0जी0 चालित विक्रम 600–जी से परिवर्तित/प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा दिनांक 26–02–2006 को माननीय उच्च न्यायालय में दायर शपथ पत्र में विभाग की कार्ययोजना का उल्लेख किया गया है कि :–

  '' In the regard to the contents of the Para 5 of the said report, the situation had been explained in the Para 8 of the affidavit field by the deponent on 27-10-2005 , the progress is yet to be communicated by MDDA. However, office of R.T.O. Dehradun has worked out a phased action plan which shall come into action, one month before commissioning of LPG filling station, according to which LPG operated vikram 600-G model of Scooter India Ltd., duly approved by A.R.A.I Pune, has been examined and allowed for registration in Uttaranchal by Transport Deptt. Besides, conversion programme of exiting Vikram taxi in the city has been worked out by the Transport Department. Which involves establishment of workshop for LPG kit retro fitment by authorized company and setting up time limit for replacement of existing Taxies into LPG run systems.

उपर्युक्त कार्यवाही/आदेशों के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि देहरादून जनपद के विभिन्न केन्द्रों के नये विक्रम टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त आवेदनों को जनहित में अस्वीकृत किया जाता है।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को अवगत करना है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में संकल्प सं0–7 द्वारा देहरादून जनपद के विभिन्न केन्द्रो से नये विक्रम टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों के सम्बन्ध में निम्न आदेष पारित किये गये थे।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद संख्या–16 श्रीमती सुरेन्द्र कौर पत्नी श्री जसवन्त सिंह के नाम पर हरिद्वार केन्द्र से जारी विक्रम टैम्पो परमिट सं0–3276 के विरुद्व मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही।

श्रीमती सुरेन्द्र कौर पत्नी श्री जसवन्त सिंह, 417 न्यू राम नगर कालोनी, हरिद्वार के नाम पर हरिद्वार केन्द्र से स्थाई विक्रम टैम्पो परमिट सं0–3276 जारी किया गया था, जो दिनांक 24.06.97 से 23.06.02 तक वैध था तथा वाहन संख्या–यूपी10बी–1786 के लिये जारी किया गया था। इसके पष्चात इस परमिट का नवीनीकरण 23.06.07 तक किया गया था। दिनांक 25.11.05 को इस परमिट पर वाहन संख्या यूपी10बी–1786 माडल 1995 के स्थान पर वाहन संख्या यूए08ई–9638 माडल 2005 लगाई गई थी। इसके पष्चात परमिट का पुनः नवीनीकरण दिनांक 24.06.07 से 23.06.12 तक किया गया है।

श्रीमती सुरेन्द्र कौर ने अपने पत्र दिनांक 15.05.09 द्वारा सूचित किया है कि उन्होंने अपनी वाहन संख्या यूपी10 बी–1786 को दिनांक 07.09.2001 को श्री उमेद अहमद पुत्र श्री महमूद हसन निवासी ज्वालापुर को बेच दिया था, परन्तु उन्होंने वाहन तथा परमिट को अपने नाम नहीं कराया। उनको ज्ञात हुआ है कि परमिट पर वाहन संख्या–यूए08ई–9638 लगाई गई है। जो, वैभव इंटरप्राइज, बहादराबाद द्वारा वित्तपोषित है। उन्होंने अपने पत्र द्वारा यह निवेदन किया था कि बिना उनकी जानकारी के परमिट पर दूसरी वाहन लगाई गई है। इस वाहन को बन्द कराया जाय तथा मामले में छानबीन कर आवष्यक कार्यवाही की जाय और उनके नाम से जारी परमिट उनको दे दिया जाय। अपने पत्र के साथ उन्होंने श्री उमेद अहमद तथा उनके मध्य किये गये एग्रीमेन्ट की छायाप्रति भी प्रेषित की है। इस एग्रीमेन्ट में यह उल्लेखित है कि दोनों पक्षों के मध्य रुपया

57,000/– में सौदा तय हुआ है, जो अदा कर दिये गये हैं। वाहन के कागजात, आर0सी0, परमिट, सैल लैटर सहित द्वितीय पक्ष को सौंप दिये गये हैं। गाडी मय परमिट के प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को विक्रय की है।

श्रीमती सुरेन्द्र कौर का पत्र जो इस कार्यालय में दिनांक 27.07.09 को प्राप्त हुआ है के द्वारा पुनः अपने पुराने पत्र का हवाला देते हुऐ सूचित किया है कि उनके जाली हस्ताक्षर करके वाहन पंजीकृत की गई है तथा परमिट का नवीनीकरण कराया गया है। उन्होंने पुनः वाहन को बन्द करने हेतु निवेदन किया था। इस कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देषों के अनुसार सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) हरिद्वार ने वाहन संख्या यूए08ई–9638 को थाना रानीपुर में दिनांक 22.03.10 को बन्द कर दिया है तथा वाहन का परमिट इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

कार्यालय के पत्र सं0–2976/आरटीए/टैम्पो–3276/09 दिनांक 29.12.09 द्वारा श्रीमती सुरेन्द्र कौर को मोटर गाडी अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किया गया है कि टैम्पो परमिट सं0–3276 को निरस्त करने के सम्बन्ध में यदि आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करना है तो 15 दिन के अन्दर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यालय के इस नोटिस के उत्तर में श्रीमती सुरेन्द्र कौर ने अपने पत्र दिनांक 07.07.10 द्वारा सूचित किया है कि यद्यपि उन्होंने दिनांक 07.09.01 को वाहन श्री उमेद अहमद को बेच दी थी। परन्तु उनको यह ज्ञात हुआ है कि परमिट पर संचालित वाहन संख्या यूए08ई–9638 को श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री भारु सिंह निवासी ग्राम अतमेलपुर पो ओ बोंगला जिला हरिद्वार चला रहे हैं। उन्होंनें अपने पत्र में यह भी कहा है कि श्री सुरजीत सिंह परमिट के हस्तांतरण के सम्बन्ध में उनसे मिले थे। यदि नियमानुसार परमिट उनके नाम हस्तांतरण हो सकता है तो परमिट हस्तांतरण की आज्ञा प्रदान की जाय, अन्यथा परमिट को निरस्त कर दिया जाय।

श्री सुरजीत चौहान को सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार के पत्र सं0–2443/लेखा/त्रैमासिक रिपोर्ट/09 दिनांक 25.11.09 द्वारा यह सूचित करने हेतु कहा गया था कि श्रीमती सुरेन्द्र कौर द्वारा अपनी वाहन को श्री उमेद अहमद को विक्रय किया गया था। आपके द्वारा उपरोक्त परमिट पर संचालित वाहन को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में सूचित करें, अन्यथा वाहन को बन्द करने की कार्यवाही की जायेगी। इस पत्र के उत्तर में श्री सुरजीत चौहान ने सूचित किया है कि सुरेन्द्र

कौर ने वाहन को श्री उमेद अहमद को वर्ष 2001 में विक्रय किया था, इसके पष्चात यह वाहन लगातार कई जगह बिकता चला आ रहा है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा वाहन बन्द करते समय वाहन को उनके चालक द्वारा संचालित किया जा रहा था। वाहन बन्द होने के कारण उनको आर्थिक हानि हो रही है।

अतः प्राधिकरण सम्बन्धित पक्षों को सुनने के पष्चात मामले में विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद संख्या–17 श्री रईस अहमद के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–2640 के विरुद्व मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में विचार व आदेष।

श्री रईस अहमद पुत्र श्री शकील अहमद, 26 संजय कालोनी, इन्दर रोड, देहरादून के नाम पर देहरादून केन्द्र से जारी विक्रम टैम्पो परमिट सं0–2640 है। इस परमिट पर वाहन सं0–यू0ण्07ई–2395 चल रही थी। जिसके स्थान पर दिनांक 28.08.10 को वाहन सं0–यूके07टीए–3796 लगा दी गई है। यह परमिट दिनांक 11.07.11 तक वैध है।

श्री अमित कुमार जायसवाल, 31/2 धर्मपुर देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 28.02.09 द्वारा यह षिकायत की है किवे विक्रम सं0–यूए07ई–2395 में सर्वेचौक से धर्मपुर के लिये गये थे। धर्मपुर पहुॅचने पर उन्होंने किराये के लिये 10 रुपये ड्राइवर को दिये। बाकी पैसे वापस मांगने पर चालक ने पैसे वापस नहीं किये और चालक व उसके साथी ने उनके साथ मारपीट की और 10 रु0 लेकर चले गये। इस षिकायत के सम्बन्ध में परमिट धारक को कार्यालय के पत्र सं0–3038/आरटीए/टैम्पो–2640/09 दिनांक 20.03.08 द्वारा मो0 गा0 अधि0 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस भेजा गया था तथा वाहन में कार्यरत चालक का नाम/पता तथा लाइसेंस नं0 सूचित करने तथा इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। परमिट धारक ने इसके उत्तर में दिनांक 28.03.09 को सूचित किया है कि 5 रुपये के फटे हुऐ नोट के सम्बन्ध में बात हो गयी थी, जिस कारण से उनकी षिकायत की गई है। षिकायतकर्ता के पिता ने अपने पत्र दिनांक 26.08.10 द्वारा सूचित किया है कि वर्तमान मे उनका लडका बाहर गया है। वाहन चालक से उनका राजीनामा हो गया है। अब वे षिकायत को वापस लेना चाहते हैं।

अतः प्राधिकरण मामले पर आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–18 श्री मोहन सिंह पुत्र श्री जयपाल सिंह, ग्राम अलेथ, पो0 मानपुर, क्षेत्र–उत्तरकाषी के स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0–3143 के विरुद्व मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही पर विचार व आदेष।

श्री मोहन सिंह के नाम पर मार्ग सूची सं0–4 का स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0–3143 है। इस पर बस सं0–एचपी38–3698 चल रही है। इस बस के चालक के विरुद्व श्री दुष्यन्त गोयल पुत्र श्री सुषील गोयल, जस्साराम रोड, हरिद्वार ने षिकायत की है कि दिनांक 05.06.10 को उनकी मैक्सी कैब सं0–यूए08एच–9899 को बस के चालक द्वारा टक्कर मारते हुऐ, अभद्र व्यवहार किया गया है। टक्कर मारने के कारण उनकी वाहन का नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी सूचित किया था कि 15 वर्ष पुरानी होने के पष्चात भी बस का संचालन हो रहा है।

उपरोक्त षिकायत के सम्बन्ध में तथा 15 वर्ष पुरानी बस को पर्वतीय मार्ग पर संचालन करने के लिये परमिट धारक को कार्यालय के पत्र सं0–1921/स0प0प्रा0/पीएसटीपी 3143/10 दिनांक 21.09.10 द्वारा मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है कि उक्त सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। परन्तु परमिट धारक का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–19 **(अ) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत एक ही अभियोग में एक वाहन के दो चालान पाये जाने पर, परमिटों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही पर विचार व आदेश।**

राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.07.03 में यह निर्णय लिया गया था कि ठेका परमिटों मैक्सी कैब/टक्सी परिमटों से आच्छादित वाहनों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लघंन करने अथवा ओवरलोडिंग का अपराध पाये जाने पर प्रथम अपराध प्रशमित किया जाए तथा द्वितीय अपराध में परमिट का निलम्बन एवं तृतीय अपराध में परमिट निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए। निम्न प्रकरण में पूर्व में किए गए प्रथम चालान को प्रशमित किया जा चुका है तथा द्वितीय चालान अनिस्तारित है।

क्र०सं०	स्वामी का नाम	परमिट संख्या व वाहन संख्या	चालनिंग अधिकारी व चालान का दिनांक	चालान की स्थिति	अभियोगों का पूर्ण विवरण
1.	श्री राम सिंह चौहान	यू–पीसीओपी176 यूए07बी–0131	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–24.07.09 यातायात निरीक्षक दिनांक–29.06.10	निस्तारित अनिस्तारित	8 सवारी ओवरलोड 8 सवारी ओवरलोड
2.	श्री हरविन्दर सिंह	ऑटो–4901 यूए08–3272	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–14.05.08 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–29.01.10	निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
3.	श्री आरिफ	टैम्पो–2741 यूके08टीए–0591	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–29.01.10 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–08.02.10	अनिस्तारित अनिस्तारित	5 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
4.	श्री दीवान सिंह	यू–पीसीओपी786 यूपी11एल–8939	यातायात निरीक्षक दिनांक–23.07.09 यातायात निरीक्षक दिनांक–19.06.10	निस्तारित अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड

5.	श्री अमजद अली	टैम्पो–3387 यूए08जे–8234	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–15.02.10 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–27.03.10	अनिस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
6.	श्री राजेश्वरी	पीएसटीपी–1158 यूए07एन–9510	यातायात निरीक्षक दिनांक–17.04.10 यातायात निरीक्षक दिनांक–9.03.10	अनिस्तारित अनिस्तारित	25 सवारी ओवरलोड 17 सवारी ओवरलोउ
7.	श्री जमुना प्रसाद	टैम्पो–1431 यूए07एन–7949	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–17.03.09 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–19.09.09	निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
8.	श्रीमती शोभा लखरवाल	मैक्सी–1295 यूके07टीए–0109	यातायात निरीक्षक दिनांक–26.07.09 यातायात निरीक्षक दिनांक–16.11.09	अनिस्तारित अनिस्तारित	1 सवारी ओवरलोड 7 सवारी ओवरलोड
9.	श्री रंजीत सिंह	टैम्पो–3781 यूपी07के'–9026	स0स0प0अ0 (प्रतर्वन) दिनांक–12.01.09 स0स0प0अ0 (प्रतर्वन) दिनांक–04.02.09	निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 5 सवारी ओवरलोड
10.	श्री आशुतोष रतुड़ी	पीएसटीपी–1922 यूके07पीए–0134	यातायात निरीक्षक दिनांक–11.01.10 यातायात निरीक्षक दिनांक–08.04.10	निस्तारित निस्तारितृ	13 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड

11	श्री जुधवरी सिंह राना	मैक्सी'1616 यूके07टीए–0522	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–19.05.10 स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–07.06.10	अनिस्तारित निस्तारित	5 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
12	श्री कमरूजमा कुरेशी	ऑटो–5379 यूए08बी–9699	स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–17.06.08 स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–05.04.10	निस्तारित अनिस्तारित	7 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
13	श्री अनुज कुमार	टैम्पो–2524 यूए07पी–0921	स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–06.01.06 स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–18.08.09	निस्तारित अनिस्तारित	7 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
14	श्री जाहिद हुसैन	टैम्पो–3334 यूए08जी–9976	स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–24.01.09 स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–19.03.10	अनिस्तारित अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड 5 सवारी ओवरलोड
15	श्री केसर सिंह	यू–पीसीओपी975 यूके07सीए–1103	यातायात निरीक्षक दिनांक–0601.10 यातायात निरीक्षक दिनांक–26.06.10	निस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 17 सवारी ओवरलोड
16	श्री सलीम अहमद	टैम्पो–3606 यूके08टीए–0091	स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–13.01.10 स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–22.04.10	निस्तारित अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड

17	श्री कैलाश चन्द	यू–पीसीओपी812	यातायात निरीक्षक दिनांक–24.09.09 यातायात निरीक्षक दिनांक–24.07.10	निस्तारित अनिस्तारित	14 सवारी ओवरलोड 10 सवारी ओवरलोड
18	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	टैम्पो–4043 यूपी07एल–9329	स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–13.11.09 स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–2.04.09	निस्तारित अनिस्तारित	6 सवारी ओवरलोड 18 सवारी ओवरलोड
19	श्री जगदीश प्रसाद	ऑटो–5468 यूके08टीए–528	स0स0प0अ0 (प्रतर्वन) दिनांक–29.12.09 स0स0प0अ0 (प्रतर्वन) दिनांक–06.04.10	निस्तारित अनिस्तारित	1 सवारी ओवरलोड 5 सवारी ओवरलोड
20	श्री श्याम सिंह	पीएसटीपी–1604 यूए07सी–8017	यातायात निरीक्षक दिनांक–30.05.08 यातायात निरीक्षक दिनांक–21.09.09	निस्तारित निस्तारित	15 सवारी ओवरलोड 10 सवारी ओवरलोड
21	श्री रघुवीर प्रसाद	टैम्पो–1518 यूए07बी–3602	स0स0प0अ0 (प्रतर्वन) दिनांक–02.03.05 स0स0प0अ0 (प्रतर्वन) दिनांक–22.09.09	निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
22	श्री विद्या दत्त घिल्डियाल	टेम्पों–3019 यूए07एफ–4554	एआरटीओई देदून दिनॉक–29.01.10 यातायात पुलिस देदून दिनॉक–28.10.09	निस्तारित निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोउ

23	श्री अनिल कुमार	ऑटो–5146 यूए08–7633	एआरटीओई हरिद्वार दिनॉक–23.12.05 एआरटीओई हरिद्वार दिनॉक–24.03.08	निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 5 सवारी ओवरलोड
24	श्री मंजरी त्यागी	टेम्पों–1992 यूके08टीए–287	एआटीओई हरिद्वार दिनॉक–22.1.01 एआरटीओई हरिद्वार दिनॉक–25.02.10	निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 7 सवारी ओवरलोड
25	श्री राम चमेली	आटो–5020 यूए08–4537	एआटीओई हरिद्वार दिनॉक–28.8.08 एआरटीओई हरिद्वार दिनॉक–18.02.10	निस्तारित अनिस्तारित	7 सवारी ओवरलोड 5 सवारी ओवरलोड
26	श्री दीपक गुप्ता	टेम्पो–3111 यूके07टीसी–078	एआरटीओई हरिद्वार दिनॉक–27.02.10 एआरटीओई हरिद्वार दिनॉक–1.04.10	अनिस्तारित अनिस्तारित	7 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
27	श्री राजेश सिंह	टेम्पों–1771 यूपी07जे–324 यूके07टीए–230	एआरटीओई देहरादून दिनॉक–6.90.07 यातायात पुलिस देदून दिनॉक–3.4.10	निस्तारित अनिस्तारित	1 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
28	श्री संजय सिह	यूपीकोपी–643 यूए07ए–5282	एआरटीओई देदून दिनॉक–13.11.09 क्षेत्राधीकारी विकासनगर दिनॉक–15.06.10	निस्तारित अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड 9 सवारी ओवरलोड

28	श्रीमती जीनत	टेम्पो–3067 यूए08एच–9278	एआरटीओई हरिद्वार दिनॉक–4.5.07 एआरटीओई हरिद्वार दिनॉक–9.3.10	निस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 5 सवारी ओवरलोड
29	श्री साबिर खान	आटो–4673 यूके07टीए–2832	एआरटीओई देदून दिनॉक–19.6.10 यातायात पुलिस देदून दिनॉक–21.04.10	निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 12 बच्चें ओवरलोड
30	श्री शंकर दास	यूपीकापी–1089 यूके07सीए–2584	क्षेत्राधिकारी विकासनगर दिनॉक–30.4.10 क्षेत्राधिकारी विकासनगर दिनॉक–1.7.10	निस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
31	श्री शरीफ अहमद	टेम्पों–4622 यूके08टीए–0032	एआरटीओई हरिद्वार दिनॉक–4.9.08 एआरटीओई हरिद्वार दिनॉक–20.3.10	निस्तारित अनिस्तारित	5 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
32	श्री सूरवीर सिंह नेगी	यूपीकापी–902 यूके07सीए–826	एआरटीओई देदून दिनॉक–9.0.08 क्षेत्राधिकारी विकासनगर दिनॉक–01.07.10	निस्तारित अनिस्तारित	12 सवारी ओवरलोड 5 सवारी ओवरलोड
33	श्री बालक राम बिज्लवाण	यूपीकोपी–08 यूए07एच–4449	एसडीएम त्यूनी दिनॉक–09.06.10 क्षेत्राधिकारी विकासनगर दिनॉक–23.06.10	अनिस्तारित अनिस्तारित	12 सवारी ओवरलोड 9 सवारी ओवरलोड

34	श्री निर्मल सिंह	टेम्पों–4317 यूके07टीए–2283	एआरटीओई देदून दिनॉक–19.09.09 एआरटीओई देदून दिनॉक–30.07.10	निस्तारित निस्तारित	4 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
35	श्री राजेंद्र सिंह	टेम्पों–4250 यूके07टीए–845	एआरटीओ देदून दिनॉक–22.02.10 एआरटीओई देदून दिनाक–29.06.10	अनिस्तारित अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
36	श्रीमती राजबाला	टेम्पों–1435 यूए07के–4885	यातायात पुलिस देदून दिनॉक–19.05.08 यातायात पुलिस देदून दिनॉक–19.01.10	अनिस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
37	श्री नरेंद्र सिह चौहान	यूपीकोपी–127 यूए07एफ–7284	एआरटीओ देदून दिनॉक–17.03.07 क्षेत्राधिकारी विकासनगर दिनॉक–05.06.10	निस्तारित अनिस्तारित	6 सवारी ओवरलोड 9 सवारी ओवरलोड
38	श्री श्रवण कुमार आन्नद	टेम्पों–3862 यूए07के–4557	यातायात पुलिस देदून दिनॉक–07.10.09 यातायात पुलिस देदून दिनॉक–15.04.10	निस्तारित अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
39	श्री इन्द्र पाल आनंद	टेम्पों–4468 यूए07एफ–4230	एआरटीओई देदून दिनॉक–06.12.03 एआरटीओई देदून	निस्तारित निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड

			दिनॉक–19.03.10		
40	श्री संदीप शर्मा	पीएसटीपी–1163 यूपी07एफ–8545	यातायात पुलिस देदून दिनॉक–08.02.07 यातायात पुलिस देदून दिनॉक–05.04.10	निस्तारित अनिस्तारित	20 सवारी ओवरलोड 8 सवारी ओवरलोड
41	श्री प्रवीण शर्मा	आटो–5203 यूए08ए–231	एआरटीओई हरिद्वार दिनॉक–22.03.10 एआरटीओई देदून दिनॉक–12.02.10	अनिस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
42	श्री रविन्द्र कुमार	टैम्पो–3673 यूए07एन–6617	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–08.07.08 यातायात निरीक्षक दिनांक–12.10.09	निस्तारित अनिस्तारित	1 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
43	श्री धूम सिंह चौहान	यूपीसीओपी 741 यूए07पी–9038	यातायात निरीक्षक दिनांक 17.06.10 स0स0प0अ0प्रवर्तन दिनांक 15.07.10	अनिस्तारित अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड 21 सवारी ओवरलोड

(ब) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत एक ही अभियोग में एक वाहन के दो से अधिक चालान पाये जाने पर, परमिटों के विरुद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही पर विचार व आदेश।

राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.07.03 में यह निर्णय लिया गया था कि ठेका परमिटों मैक्सी कैब/टक्सी परिमटों से आच्छादित वाहनों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लघंन करने अथवा ओवरलोडिंग का अपराध पाये जाने पर प्रथम अपराध प्रशमित किया जाए तथा द्वितीय अपराध में परमिट का निलम्बन एवं तृतीय अपराध में परमिट निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए। निम्न प्रकरण में पूर्व में किए गए दो चालान निस्तारित हो चुके हैं तथा तृतीय चालान अनिस्तारित है।

क्र०सं०	स्वामी का नाम	परमिट संख्या व वाहन संख्या	चालनिंग अधिकारी व चालान का दिनांक	चालान की स्थिति	अभियोगों का पूर्ण विवरण
1.	श्री रवि कुमार	टैम्पो–4054 यूए07एस–6051	स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–02.03.08	निस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–09.12.08	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–28.08.09	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–31.03.10	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
2.	श्रीमती रामकुमारी सिंह	टैम्पो–1887 यूए07एम–2615	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–24.09.07	निस्तारित	5 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–25.02.08	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोउ
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–16.05.08	निस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन)	निस्तारित	4 सवारी ओवरलोड

			दिनांक–20.08.08 यातायात निरीक्षक दिनांक–06.09.08	अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
3.	श्री मामचन्द	टैम्पो–4407 यूए07एफ–5007 प्रतिस्थापित यूके07टीए–3898	स0स0प0अ0(प्रतर्वन) दिनांक–2.12.04 यातायात निरीक्षक दिनांक–24.09.05 यातायात निरीक्षक दिनांक–13.05.08	निस्तारित निस्तारित निस्तारित	5 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
4.	श्री प्रेम सिंह	टैम्पो–4403 यूए07एन–8867	स0स0प0अ0(प्रतर्वन) दिनांक–03.08.07 स0स0प0अ0(प्रतर्वन) दिनांक–28.12.07 स0स0प0अ0(प्रतर्वन) दिनांक–06.07.09 स0स0प0अ0(प्रतर्वन) दिनांक–15.03.10	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
5.	श्री नाथूसिंह	टैम्पो–333 यूपी07जे–0166	यातायात पुलिस दिनांक–28.01.06 स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–08.07.08 स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–24.03.09 स0स0प0अ0 (प्रतर्वन) दिनांक–21.12.09	निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड

			यातायात निरीक्षक दिनांक–10.04.10	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
7.	श्री नरेन्द्र कुमार	टैम्पो–436 यूए07एल–4186	यातायात पुलिस दिनाक–10.09.06	निस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–26.07.08	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–22.08.09	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
			यातायात निरीक्षक (प्रवर्तन) दिनांक–17.12.09	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
8.	मौ0 यासीन	टैम्पो–4125 यूपी07एफ–4691	स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–09.03.08	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–03.02.09	अनिस्तारित	5 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0 (प्रतर्वन) दिनांक–23.10.09	अनिस्तारित	5 सवारी ओवरलोड
9.	श्री पवन कुमार	टैम्पो–4464 यूए07के–9097	स0स0प0अ0 (प्रतर्वन) दिनांक–07.07.09	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0 (प्रतर्वन) दिनांक–13.07.09	निस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
			यातायात निरीक्षक दिनांक–20.04.10	निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड
10	श्री विरेन्दर सिंह	यू–पीसीओपी604 यूए07–9991	स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–17.08.06	निस्तारित	4 सवारी ओवरलोड

			स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–27.02.09 स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–10.06.10 यातायात निरीक्षक दिनांक–07.04.10	निस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित	2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 13 सवारी ओवरलोड
11	श्री गीता राम डोभाल	यू–पीसीओपी973 यूके07सीए–1949	स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–24.04.10 स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–25.11.09 स0स0प0अ0 (प्रवर्तन) दिनांक–05.06.10	अनिस्तारित अनिस्तारित निस्तारित	13 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
12	श्रीमती अंजु भसीन	टैम्पो–4283 यूए07ए–4779	स0स0प0अ0 (प्रतर्वन) दिनांक–23.01.09 स0स0प0अ0 (प्रतर्वन) दिनांक–06.02.10 यातायात निरीक्षक दिनांक–23.12.09	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
13	श्री विनोद कुमार	टैम्पों–4274 यूके07टीए–631	एआरओई दिनॉक 14.9.09 एआरटीओई देदून दिनॉक–2.07.10 सहा0 पुलिस अधीक्षक यातायात देदून दिनॉक 20.01.10	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	2सवारी ओवरलोड 3सवारी ओवरलोड 4सवारी ओवरलोड

14	श्री राजू जयसवाल	टेम्पों–1468 यूके07टीए–818	एआरटीओई देदून दिनॉक–06.06.09 एआरटीओई देदून दिनॉक–28.08.09 एआरटीओ देदून दिनॉक–04.02.10	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	4सवारी ओवरलोड 3सवारी ओवरलोड 3सवारी ओवरलोड
15	श्री कोशर अली	टेम्पों–4138 यूपी07एल–9682	एआटीओई देदून दिनॉक–20.6.05 एआरटीओई दिनॉक–11.1.08 एआरटीओई देदून दिनॉक–10.02.02.08 एआरटीओई देदून दिनॉक–11.06.10	निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	5 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 6 सवारी ओवरलोड
16	श्री सुनील कुमार कर्णवाल	टेम्पों–4417 यूए07ए–1136	क्षेत्राधीकारी यातायात देदून दिनॉक–10.10.06 निरिक्षक यातायात देदून दिनॉक–10.04.07 पुलिसअधीक्षक यातायात देदून दिनॉक–18.04.010	निस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित	5 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
17	श्री प्रदीप जोशी	टेम्पों–353 यूए07एस–9173	एआरटीओई देदून दिनॉक–11.12.08	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड

			एआरटीओ देदून दिनॉक–16.07.09 एआरटीओ देदून 13.01.10	निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
18	श्री एस.एस.सब्बरवाल	टेम्पों–1492 यूपी07जे–5024	एआटीओंई देदून दिनॉक–12.02.09 एआरटीओंई देदून दिनॉक–21.04.08 एआरटीओ देदून दिनॉक–13.07.09	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड 6 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
19	श्री मोहन लाल	टेम्पों–4579 यूपी07जे–2422	एआरटीओ देदून दिनॉक–5.11.07 एआरटीओ देदून दिनॉक–1.10.09 एआरटीओंई देदून दिनॉक–4.2.10	निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
20	श्री मोहन कुमार डोडी	टैम्पो–1597 यूए07डी–5824	यातायात निरीक्षक दिनांक–05.12.07 यातायात निरीक्षक दिनांक–04.05.08 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–27.11.08 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–05.05.10	निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड
21	श्री आनन्द सिंह तोमर	यू–पीसीओपी646	यातायात निरीक्षक	अनिस्तारित	19 सवारी ओवरलोड

		यूए07ई–7379	दिनांक–30.11.09 यातायात निरीक्षक दिनांक–24.11.09 स0स0प0अ0(प्रतर्वन) दिनांक–18.03.07 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–24.04.10 यातायात निरीक्षक दिनांक–05.08.10	 अनिस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित	 9 सवारी ओवरलोड 7 सवारी ओवरलोड 7 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड
22	श्री सुभाष चन्द्र सब्बरवाल	टैम्पो–3628 यूए07क्यू–1366	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–24.04.03 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–08.02.05 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–20.04.05 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–11.03.10 यातायात निरीक्षक दिनांक–11.04.10	निस्तारित निस्तारित निस्तारित अनिस्तारित अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 2 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड
23	श्री पवन बहल	टैम्पो–4464 यूए07के–9097 प्रतिस्थापित यूके07टीए–3956	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–07.07.09 स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–13.07.09 यातायात निरीक्षक दिनांक–20.4010	निस्तारित निस्तारित निस्तारित	3 सवारी ओवरलोड 4 सवारी ओवरलोड 3 सवारी ओवरलोड

24	श्री विजय पाल सिंह नेगी	टैम्पो–1807 यूपी07एफ–5972	स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–11.08.04	निस्तारित	5 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–27.09.07	निस्तारित	4 सवारी ओवरलोड
			स0स0प0अ0(प्रवर्तन) दिनांक–23.09.09	अनिस्तारित	5 सवारी ओवरलोड
			यातायात निरीक्षक दिनांक–18.01.10	अनिस्तारित	4 सवारी ओवरलोड

मद सं–20 नगर परिवहन सेवाओं के अन्तर्गत निर्गत किये जाने वाले परमिटों को क्षेत्र के स्थान पर मार्ग आधारित निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र पर विचार व आदेष–

परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड ने अध्यक्ष, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून को सम्बोधित तथा सम्भागीय परिवहन अधिकारी देहरादून को पृष्ठांकित अपने पत्र सं0–3137/एसटीए/दस–2/2010 दिनांक 06.10.10 द्वारा सूचित किया है कि समय–समय पर ऐसी षिकायतें प्राप्त होती हैं कि देहरादून नगर में निर्गत किये गये परमिटों की संख्या से अधिक संख्या में विक्रम वाहनों का संचालन हो रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया जाता है कि किसी मार्ग पर अत्यधिक संख्या में वाहनें संचालित हो रही हैं जबकि दूसरे मार्गो पर अपेक्षित संख्या में यातायात के साधन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अपने पत्र में यह कहा है कि इसका मुख्य कारण विक्रम वाहनों को जारी किये जाने वाले परमिट मार्ग परमिट न होकर क्षेत्र 25 किमी0 रेडियस के जारी किये गये हैं, जिसके कारण वाहन स्वामी किसी भी मार्ग पर वाहनों का संचालन करने के लिये स्वतंत्र है। परमिट अर्धव्यास क्षेत्र के लिये वैध होने के कारण उसके विरुद्व मार्ग बदलने पर कोई कार्यवाही भी किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। मोटर यान

अधिनियम 1988 की धारा 70 के अन्तर्गत वाहनों को मार्ग पर स्टैज कैरिज के रुप में परमिट जारी करने की व्यवस्था की गई हे, जबकि धारा 74 में किसी क्षेत्र/मार्ग के लिये कांट्रैक्ट कैरिज परमिट व्यवस्था दी गई है।

उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि उपरोक्त प्राविधानों के आधार पर किसी प्रकार की वाहन को मार्ग परमिट जारी करने में कोई विधिक कठिनाई नही है। अतः सम्भायीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में इस बिन्दु पर विचार करते हुऐ क्षेत्र के लिये जारी परमिटों को मार्ग परमिट में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि वर्तमान में देहरादून केन्द्र से विक्रम टैम्पो वाहनों के 794 परमिट वैध हे। इन वाहनो देहरादून केन्द्र से 25 किमी0 अर्धव्यास के लिये जारी गये हे। इन वाहनों का संचालन देहरादून नगर के भिन्न भिन्न मार्गो पर होता है।

अतः प्राधिकरण परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्उ द्वारा दिये गये निर्देषें पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करे।

मद सं0–21 **अन्य मद, अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से–**

सचिव,
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दि0– 08.10.10 की अनूपुरक कार्य सूची

मद सं0–1(अनु0)

थाना कैन्ट–परेड ग्राउन्ड वाया जी0एम0एस0रोड–सब्जी मंडी–आई0एस0बी0टी0–रिस्पना पुल–सुभाष रोड मार्ग का विस्तार थाना कैन्ट से नींबूवाला–कौलागढ रोड होते हुऐ ओ0एन0जी0सी0 चौक तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष–

नगर बस सेवा का एक मार्ग थाना कैन्ट–परेड ग्राउन्ड वाया जी0एम0एस0रोड–सब्जी मंडी–आई0एस0बी0टी0–रिस्पना पुल–सुभाष रोड है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में इस मार्ग का विस्तार थाना कैन्ट से सप्लाई डिपो–अनारवाला तक किया गया है। इस मार्ग की लम्बाई 22 किमी0 है तथा वर्तमान मे इस मार्ग पर 12 परमिट वैध हैं। मार्ग बस यूनियन के अध्यक्ष ने अपने पत्र दिनांक 27.07.10 द्वारा यह निवेदन किया था कि उनके मार्ग का विस्तार थाना कैन्ट से नींबूवाला–कौलागढ रोड होते हुऐ ओ0एन0जी0सी0 चौक तक करने की कृपा करें, ताकि क्षेत्र की जनता को आईएसबीटी के लिये यातायात सुविधा उपलब्ध हो सके। क्षेत्रीय कल्याण एवं उत्थान समिति कौलागढ ने भी अपने पत्र दिनांक 25.08.10 द्वारा निवेदन किया है कि थाना कैन्ट से चलने वाली बसों को नींबूवाला–आमबाग–कौलागढ रोड होते हुऐ संचालित कराया जाय।

इस सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र सं0–1756/आरटीए/दस–273/10 दिनांक 06.09.10 द्वारा सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन, देहरादून को मार्ग का सर्वेक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। उन्होंने अपने पत्र सं0–85/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/2010 दिनांक 6.10.10 द्वारा सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत की है, जो निम्न प्रकार है–

1. गढी कैन्ट(थाने के निकट) से नींबुवाला होकर कौलागढ रोड होते हुऐ ओ0एन0जी0सी0 चौक तक मार्ग की कुल लम्बाई 2.2 किमी0 है।
2. मार्ग पूरा पक्का है तथा 166 इंच व्हीलबेस की बसों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

3. वर्तमान में गढीकैन्ट की बसें गढीकैन्ट से सीधे ओ0एन0जी0सी0 चौक होते हुऐ संचालित हो रही हैं, इस मार्ग पर आबादी कम है, जबकि नींबूवाला क्षेत्र घना आबादी क्षेत्र है।

4. अतः नीबूंवाला क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु थाना कैन्ट–परेड ग्राउन्ड मार्ग का विस्तार नींबूवाला से कौलागढ रोड होते हुऐ ओएनजीसी चौक तक किया जाना उचित होगा तथा जनता की सुविधा को देखते हुऐ मार्ग पर दोनों ओर से बस सेवायें चलाये जाने की संस्तुति की जाती है।

अतः प्राधिकरण मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करें।

मद सं0–2(अनु0)

डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी मार्ग का विस्तार दिलाराम बाजार से अजन्ता होटल तक करने के सम्बन्ध में विचार व आदेष–

डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी तथा सम्बन्धित मार्ग के अध्यक्ष ने अपने पत्र दिनांक 16.07.10 द्वारा सूचित किया है कि उनके मार्ग की बसों का आवागमन दिलाराम बाजार होकर होता था, परन्तु दिलाराम बाजार में रोड डिवाइडर बन जाने के कारण अब इस मार्ग की बसों मधुबन होटल के सामने से मुडकर डी0एल0रोड के लिये जाती हैं। मधुबन होटल के सामने जगह कम होने के कारण बसों को मोडने में असुविधा होती है। उन्होंने निवेदन किया है कि अजन्ता होटल के सामने नहर बन्द हो जाने के कारण सडक काफी चौडी हो गई है। यहॉ पर बसों को मोडने में कोई असुविधा नहीं होगी, इसलिये उनके मार्ग का विस्तार दिलाराम बाजार से अजन्ता होटल तक कर दिया जाय।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र सं0–2247/आरटीए/दस–273/10 दिनांक 30.09.10 द्वारा स0स0प0अधिकारी, प्रवर्तन देहरादून से आख्या मांगी गई थी उन्होंने मार्ग का सर्वेक्षण कर अपनी आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की है–

1. वर्तमान मे डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी मार्ग की बसें डी0एल0रोड जाने के लिये दिलाराम बाजार से आगे होटल मधुबन के निकट से मुडती हैं, जहॉ पर बसों के मुडने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है, जिससे जाम लगता रहता है।
2. अजन्ता होटल के पास वर्तमान में नहर बन्द हो जाने के कारण वाहनों के मुडने के लिये पर्याप्त स्थान है। यदि उक्त मार्ग का विस्तार होटल अजन्ता तक कर दिया जाता है, तो वाहनों को मुडने के लिये पर्याप्त स्थान मिल जायेगा तथा जाम की समस्या भी नहीं होगी।
3. विस्तार किये जाने वाले मार्ग की कुल लम्बाई 1.3 किमी0 है।
4. अतः डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी मार्ग का विस्तार दिलाराम बाजार से होटल अजन्ता तक करने की संस्तुति की जाती है।

अतः प्राधिकरण उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त आदेष पारित करने की कृपा करे।

सचिव,
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून।

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनाक 08.10.10 की कार्यवाही :–

उपस्थिति :

1. श्री अजय सिंह नबियाल — अध्यक्ष।
   आई0ए0एस0
   आयुक्त, गढ़वाल मंडल।

2. श्री विजेन्द्र भण्डारी, — सदस्य।
   मसूरी, देहरादून।

3. श्रीमती सुनीता सिंह — पदेन सचिव।
   संभागीय परिवहन अधिकारी,
   देहरादून।

संकल्प संख्या–1–

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनाक 26.06.10 की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

संकल्प संख्या–2–

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्धति से पारित मद में उल्लिखित आदेश क्रमांक 1 से 2 तक का अनुमोदन किया जाता है।

संकल्प संख्या–3–

सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा क्रमांक अ, ब, स तथा द पर जारी अस्थाई/स्थाई परमिटों का अनुमोदन किया जाता हैं।

संकल्प संख्या–4–

मद संख्या–4 में देहरादून–डोईवाला नगर बस सेवा मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पदाधिकारियों, श्री मनमोहन सिंह बिष्ट के प्रतिनिधि श्री अतुल कुमार सिंधल व श्री योगराज सिंह के प्रतिनिधि श्री भूषण त्यागी को सुना गया।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पदाधिकारियों ने आपत्ति करते हुऐ कहा कि प्राधिकरण द्वारा बैठक दिनांक 12.11.09 में देहरादून–डोईवाला मार्ग का विस्तार किया गया है जो उचित नहीं है तथा इससे पूर्व परिवहन विभाग द्वारा किया गया सर्वेक्षण भी त्रुटिपूर्ण है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में इस मार्ग पर 15 परमिट की संख्या निर्धारित की गई थी, इसके पश्चात उक्त बैठक में मार्ग का विस्तार करने के पश्चात 43 परमिटों की रिक्तियां घोषित की गई, जो किसी भी दशा में सही नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी कहा कि इस मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण करते समय निगम का कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं किया गया, जबकि नगर बस योजना में

परिवहन निगम के प्रतिनिधि को शामिल करने का प्राविधान है। परिवहन निगम के पदाधिकारियों ने यह भी अवगत कराया कि वे वर्तमान में देहरादून–डोईवाला मार्ग पर आवश्यकतानुसार बस सेवायें संचालित करने हेतु सक्षम

है। यदि इस मार्ग पर और बसें चलाने की आवश्यकता है, तो परिवहन निगम को बस सेवा संचालन में वरीयता दी जाय।

श्री मनमोहन सिंह बिष्ट की ओर से बोलते हुऐ श्री अतुल सिंधल ने कहा कि उक्त मार्ग हेतु सर्वेक्षण समिति द्वारा किया गया सर्वेक्षण त्रुटिपूर्ण है। इस मार्ग का विस्तार जौलीग्रान्ट तक किया गया है, जिसकी दूरी 25 किमी0 से अधिक है, इस प्रकार किया गया मार्ग विस्तार त्रुटिपूर्ण है।

श्री भूषण कुमार त्यागी ने अवगत कराया कि मा0 उच्च न्यायालय ने श्री योगराज सिंह द्वारा दायर याचिका सं. –1079/10 में दिनांक 06.10.10 में यह आदेश पारित किये हैं कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता श्री योगराज सिंह की आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात ही बैठक में निर्णय लिया जायेगा। श्री भूषण कुमार ने कहा कि उनको अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय दिया जाय।

मामले में विचारोपरान्त प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि श्री योगराज सिंह को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 18.10.2010 तक का समय दिया जाय तथा इस मामले को पुनः प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 20.10.10 को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया जाय।

संकल्प सं0–5

मद संख्या–5 के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सिंह गुंसाई तथा अन्य द्वारा दायर याचिका सं0–178/एमएस/07 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.02.10 के अनुपालन में प्रेमनगर–गुलरधाटी तथा सम्बन्धित मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.05.06 में इस मार्ग पर 22 परमिटों की संख्या निर्धारित की गई थी तथा 4 स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किये गये थे। इन आदेशों के विरुद्व मार्ग के एक आपरेटर द्वारा की गई अपील सं0–03./06 में एसटीएटी द्वारा पारित आदेशों द्वारा आर0टी0ए0 के आदेश को निरस्त कर दिया गया था। इन आदेशों के विरूद्ध श्री नरेन्द्र सिंह गुंसाई तथा अन्य द्वारा याचिका सं0–178/एमएस/07 दायर की गई थी। इस याचिका में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.02.2010 को निर्देश दिये थे कि मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण कराने के पश्चात आरटीए द्वारा पुनः मामले मे विचार किया जाय।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण करने के पश्चात संयुक्त सर्वेक्षण समिति ने दिनांक 21.06.10 को इस मार्ग पर 4 परमिट जारी करने की संस्तुति की है। इस मार्ग पर परमिटों हेतु 178

स्थाई तथा 1 अस्थाई परमिट हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुऐ हैं, जिनके विवरण परिषिष्ट **'ख'** में दिये गये हैं। पुकारने पर प्राधिकरण के समक्ष श्री देवेन्द्र कुमार मल्होत्रा, श्री नरेन्द्र सिंह गुंसाई, श्री विशाल थापा, श्री भूपेन्द्र सिंह बोहरा, श्री सुभाष कुमार व श्री अंकित गुप्ता उपस्थित हुऐ। प्राधिकरण के समक्ष श्री देवेन्द्र कुमार मल्होत्रा के द्वारा बताया गया कि उनको पूर्व में देहरादून–डोईवाला नगर बस मार्ग का परमिट जारी किया गया था जो कि मा0 राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तराखण्ड के आदेशो के अनुपालन में निरस्त हो गया है। उनके पास वाहन यूके–07पीए–0286 उपलब्ध है। प्राधिकरण द्वारा उपस्थित प्रार्थियों को विस्तार से सुना गया। प्राथियों द्वारा दी गयी सूचनाओ पर तुलनात्मक रूप से विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित प्रार्थियों को अन्य प्राथियो की अपेक्षा परमिट पाने हेतु उपयुक्त पाया गया।

क्र0सं0	परिशिष्ट का क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पता	अन्य विवरण
1	91	श्री नरेन्द्र सिंह गुंसाई पुत्र श्री के एस गुंसाई माजरी माफी, हरिद्वार रोड, देहरादून।	
2.	138	श्री विषाल थापा पुत्र श्री के बी थापा ग्राम लच्छीवाला पो0 डोईवाला देहरादून।	
3.	175	श्री देवेन्द्र कुमार मल्होत्रा पुत्र श्री करम चन्द मल्होत्रा 64 रीठा मण्डी, देहरादून।	
4.	176	श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री अजय सिंह 29 डी0एल0रोड देहरादून।	अनु0जाति

उपरोक्त प्रार्थियों को एक–एक स्थाई सवारी गाडी परमिट 5 वर्ष की अवधि के लिये सामान्य शर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता है। क्रमांक 3 पर उल्लिखित प्रार्थी श्री देवेन्द्र कुमार मल्होत्रा को स्वीकृत परमिट वाहन संख्या–यूके07पीए–0286 पर तथा शेष प्रार्थियों को 166 इंच व्हीलबेस तक की नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.10 तक जारी किये जायेंगें उसके उपरान्त स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। परिशिष्ट में उल्लिखित शेष प्रार्थना पत्रों को कोई रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट 02 वर्ष से पूर्व

हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को जारी परमिट अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा। ऐसे परमिट अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी को हस्तान्तरित नहीं किए जायेंगे।

संकल्प सं0–6

मद सं0–6 के अन्तर्गत परेड ग्राउन्ड–प्रेमनगर–परवल तथा सम्बन्धित मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचार व आदेश हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। इस मार्ग पर 16 बसों का संचालन हो रहा है। सयुक्त सर्वेक्षण समिति की आख्या दिनांक 09.03.10 द्वारा इस मार्ग पर 5 परमिटों की संख्या बढाये जाने की संस्तुति की गयी है। अतः मार्ग पर 21 परमिटों की संख्या निर्धारित की जाती है। वर्तमान 05 रिक्तियों में से 04 रिक्तियां सामान्य वर्ग के लिये एवं 01 रिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये निर्धारित की गई ।

इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त 77 प्रार्थनापत्रों के विवरण परिषिष्ट **"ग"** में दिये गये हैं, जिसमें से एक प्रार्थना पत्र मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उन्होंने परिवहन निगम को 10 परमिट फ्लीट ऑनर के रुप में जारी करने का निवेदन किया हैं। परन्तु चूंकि इस मार्ग का देहरादून से प्रेमनगर तक का भाग राष्ट्रीयकृत मार्ग है तथा प्रेमनगर से आगे का मार्ग अराष्ट्रीयकृत है। अतः इस मार्ग के प्रत्येक परमिट केलिये पृथक आवेदन पत्र दिया जाना आवश्यक है। उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा मात्र 01 आवेदन पत्र दिया गया है। इसलिये प्रश्नगत मार्ग पर परिवहन निगम को 10 परमिट जारी करना सम्भव नहीं है।

पुकारने पर प्राधिकरण के समक्ष श्री नितिन आहुजा, श्री कुसुमलता के प्रतिनिधि श्री भीम सिंह, श्री विनोद चन्दोला, श्री चन्दन सिंह के प्रतिनिधि उनके भाई श्री कमल सिंह, श्री अनिल अग्रवाल के प्रतिनिधि श्री विवेक टंडन व श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित हुऐ। प्राधिकरण द्वारा उपस्थित प्रार्थियों को विस्तार से सुना गया प्राथियों द्वारा दी गयी सूचनाओं पर तुलनात्मक रूप से विचार करने के पश्चात निम्नलिखित प्रार्थियों को अन्य प्रार्थियो की अपेक्षा परमिट पाने हेतु उपयुक्त पाया गया।

क0सं0	परिषिष्ट का कमांक	आवेदक का नाम तथा पता	अन्य विवरण
1	18	श्री नितिन आहुजा पुत्र श्री नरेन्द आहुजा	

		12 सी विंग नं0 2 प्रेमनगर देहरादून।
3.	47	श्री अनिल अग्रवाल पुत्र श्री डी एम अग्रवाल 23/12 कबाडी बाजार रुडकी देहरादून
2.	70	श्री राजेन्द्र भटट, पुत्र श्री बी डी भटट 49 सुमन नगर, देहरादून।
4.	77	मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून।

उपरोक्त प्रार्थियों को एक–एक स्थाई सवारी गाडी परमिट 5 वर्ष की अवधि के लिये नगर बसों के लिए निर्धारित शर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट 133 इंच व्हीलबेस तक की नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.10 तक प्राप्त किये जायेंगें अन्यथा स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। परिवहन निगम को **नई वाहन/जेएनएनयूआरएम** योजना के अर्न्तगत प्राप्त वाहन के लिए परमिट जारी किया जाए। अनुसूचित जाति का कोई प्रार्थी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति श्रेणी के लिये आरक्षित 01 रिक्ति को आगामी बैठक के लिये सुरक्षित रखा जाता है। परिषिष्ट में उल्लेखित शेष प्रार्थना पत्रो को अस्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत परमिट 02 वर्ष से पूर्व हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।

संकल्प सं0–7

मद सं0–7 के अन्तर्गत आई0एस0बी0टी0–परेड ग्राउन्ड–सहस्त्रधारा मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त सर्वेक्षण समिति ने इस मार्ग पर 4 परमिटों के बढाये जाने की संस्तुति की है। परमिटों हेतु प्राप्त 120 प्रार्थनापत्रों के विवरण परिषिष्ट **'ध'** में दिये गये हैं, जिसमें से 01 प्रार्थनापत्र मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। परिवहन निगम द्वारा 5 परमिट फ्लीट ऑनर के रुप में जारी करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया हें।

मामले पर विचारोपरान्त प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि इस मार्ग पर संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा 4 परमिटों की संख्या बढाने की संस्तुति की गयी है, परन्तु परिवहन निगम द्वारा 5 परमिट जारी करने हेतु निवेदन किया गया है।

संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर परिवहन निगम को 4 परमिट फ्लीट ऑनर के रुप में स्वीकृत किये जाते हैं तथा शेष प्रार्थनापत्रों को मार्ग पर कोई रिक्ति न होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।

परिवहन निगम द्वारा स्वीकृत परमिट **नई वाहन/जेएनएनयूआरएम** योजना के अन्तर्गत प्राप्त वाहनों (अधिकतक 166 इंच व्हीलबेस) के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.10 तक प्राप्त किये जायेंगे अन्यथा स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संकल्प सं0–8

मद सं0–8 के अन्तर्गत राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। परमिटों हेतु प्राप्त 102 प्रार्थनापत्रों के विवरण परिशिष्ट **'च'** में दिये गये हैं, जिसमें से 01 प्रार्थनापत्र मण्डलीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। परिवहन निगम द्वारा 10 परमिट फ्लीट आर्नर के रुप में जारी करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया हें। संयुक्त सर्वेक्षण समिति ने बहुमत से इस मार्ग पर 4 परमिटों के बढाये जाने की संस्तुति की है।

राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व मार्ग यूनियन की ओर से श्री जी0एस0भण्डारी तथा उनके अधिवक्ता श्री वशिष्ठ ने आपत्ति करते हुऐ कहा कि इस मार्ग पर और परमिट न दिये जायें क्योंकि मार्ग पर पूर्व से ही अत्यधिक संख्या में विक्रम टैम्पो व बसें संचालित हो रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि परिवहन निगम द्वारा इस मार्ग पर परमिट की मांग की जा रही है तो उनको परमिट जारी कर दिये जायें।

मामले पर विचारोपरान्त प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि इस मार्ग पर संयुक्त सर्वेक्षण समिति ने 4 परमिटों की संख्या बढाने की संस्तुति की है, परन्तु परिवहन निगम द्वारा 10 परमिट जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर परिवहन निगम को 4 परमिट फ्लीट आर्नर के रुप में नगर बसों के लिए निर्धारित शर्तो के साथ स्वीकृत किये जाते हैं तथा शेष प्रार्थनापत्रों को मार्ग पर कोई रिक्ति न होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।

परिवहन निगम द्वारा स्वीकृत परमिट **नई वाहन/जेएनएनयूआरएम** योजना के अन्तर्गत प्राप्त वाहनों (अधिकतम 166 इंच व्हीलबेस) के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.10 तक प्राप्त किये जायेंगे अन्यथा स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संकल्प सं0–9

मद सं0–9 के अन्तर्गत श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री नरेष कुमार की बस संख्या यूए07एम–9385 माडल 2006 को प्रेमनगर–चौकी धौलास मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थिनी की वाहन इस मार्ग पर अस्थाई परमिट पर संचालित हो रही है। संयुक्त सर्वेक्षण समिति ने मार्ग पर 02 परमिट बढाये जाने की संस्तुति की है। मार्ग पर पूर्व से 02 परमिट वैध हैं। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि इस मार्ग पर 4 परमिटों की संख्या निर्धारित की जाती है। श्रीमती संगीता देवी को स्थाई सवारी गाडी परमिट 5 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया जाता है, स्वीकृत परमिट अस्थाई परमिट पर संचालित वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.10 तक प्राप्त किया जा सकता है उसके उपरान्त स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएगी।

संकल्प सं0–10

मद सं0–10 के अन्तर्गत प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में विभिन्न मार्गो पर स्वीकृत स्थाई सवारी गाडी परमिटों को पुरानी वाहन पर प्राप्त करने तथा परमिट प्राप्त करने हेतु समय बढाने के 03 प्रार्थनापत्र निम्नानुसार प्रस्तुत किये गये हैं।

1. श्रीमती बबीता देवी सोनकर
2. श्रीमती सुनीता देवी
3. कुमारी स्वेता

राजधानी की नगर बस सर्विस होने के कारण प्रदूषण मुक्त, सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराने व दुर्घटनाओं की न्यूनतम सम्भावनाओं के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा नई वाहनों पर परमिट स्वीकृत किये गये हैं। अतः स्वीकृत परमिटों को पुरानी वाहनों पर जारी करने के प्रार्थनापत्रों को अस्वीकृत किया जाता है तथा नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर

स्वीकृत परमिट प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.08.2000 में संकल्प सं0–4 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार प्रषमन शुल्क जमा करने पर जारी किये जायेंगे। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.08.2000 मे निर्धारित नीति निम्न प्रकार है–

1– स्टैज कैरेज परमिट के मामलों में यदि प्रार्थी स्वीकृत निर्धारित अवधि में परमिट उठाने में असफल रहता है तो निर्धारित अवधि के पश्चात रु0 1000/–(एक हजार) प्रति माह विलम्ब शुल्क देकर स्वीकृत परमिट उठा सकेगा। पार्ट माह के लिये भी पूरे माह का विलम्ब शुल्क दिया जायेगा। परमिट उठाने की सामान्य अवधि दो माह मानी जायेगी, बशर्ते कि प्राधिकरण ने कोई विषिष्ट आदेश न किये हों। एक वर्ष के पश्चात परमिट स्वीकृति का आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा।

<u>संकल्प सं0–11</u>

मद सं0–11 के अन्तर्गत टिहरी तथा उत्तरकाषी जनपदों में नवनिर्मित मोटर मार्गो को यातायात के लिये खोलने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। मार्गो के सम्बन्ध में प्रस्तुत सर्वेक्षण आख्या का अवलोकन करने के पश्चात प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि टिहरी जनपद के निम्नलिखित नवनिर्मित मोटर मार्गो को यातायात के लिये खोल दिया जाय। इन मार्गो का पृष्ठांकन क्रमाक 03 पर वर्णित मार्ग पर छोड़कर मार्ग सूची सं0–1 के परमिटों में कर दिया जाय।

2. **अंजनीसैण–पुनाणु मोटर मार्ग–13.5 किमी0**
2. **जाखणीधार–गराकोट–पौडीखाल मोटर मार्ग के किमी 11 में स्थित गन्दोली तोक से काण्डाडांगी मोटर मार्ग–5 किमी0**
3. **डांग–मुलाणा ह0वा0 मार्ग 1.250 किमी0**

4. किलकिलेष्वर–सिल्काखाल–चोनीखाल मोटर मार्ग 7 किमी0

जनपद उत्तरकाशी में नवनिर्मित मोटर मार्ग धौन्तरी से सीरी का सर्वेक्षण करने के पश्चात सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी उत्तरकाशी ने सूचित किया है कि मार्ग पर कुछ कमियां पायी गई हैं, जिनके सम्बन्ध में सहायक अभिन्यता एवं अवर अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को अवगत करा दिया गया है।

प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि मार्गों पर पायी गयी कमियों के निराकरण की पुष्टि के बाद मार्ग को यातायात के लिए खोलने के लिए प्रस्तुत किया जाये।

संकल्प सं0–12

मद सं0–12 के अन्तर्गत प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में देहरादून केन्द्र, से कु0 जाहिदा को स्वीकृत आटोरिक्षा परमिट को प्राप्त करने के लिये समय बढाने हेतु मामला विचार व आदेश प्रस्तुत किया गया है।

स्वीकृत परमिट नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.12.10 तक प्राप्त किया जायेगा अन्यथा स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संकल्प सं0–13

मद सं0–13 के अन्तर्गत श्री जगबीर सिंह मान पुत्र श्री लाल सिंह मान, 112 बाडी गार्ड, राजपुर रोड, देहरादून के प्रार्थनापत्र दिनांक 18.09.10 पर विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। श्री जगबीर सिंह मान ने निवेदन किया है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में टैम्पो परमिटों पर विक्रम वाहनों को प्रतिस्थापन किये जाने के आदेश दिये गये हैं इसलिये विक्रम टैम्पो परमिट संख्या 1733 पर विक्रम टैम्पो वाहन लगाने की आज्ञा प्रदान की जाय। इस

परमिट का नवीनीकरण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में स्वीकृत किया गया था और 04 पहिए वाली सात सीटर यूरो–3 मानक वाली 02 सिलेण्डर वाहन लगाने की आज्ञा दी गई थी।

चूँकि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 26.06.10 में टैम्पो परमिटों पर विक्रम वाहनों से प्रतिस्थापन किये जाने के आदेश दिये गये हैं। अतः टैम्पो परमिट संख्या 1733 में भी नई विक्रम डीजल चालित यूरो–02/03 वाहन के प्रतिस्थापन करने की आज्ञा दिनांक 31.12.10 तक, इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य में एलपीजी चालित विक्रम वाहन उपलब्ध हो जाने पर इस वाहन का प्रतिस्थापन एलपीजी चालित वाहन से करना होगा।

संकल्प सं0–14

मद सं0–14 के अन्तर्गत कौलागढ–विधानसभा मार्ग को सब्जी मंडी से लालपुल–महन्त इन्दरेश हास्पीटल होते हुऐ कारगी चौक तक काटने तथा रेलवे स्टेषन से लालपुल–सब्जी मंडी होते हुऐ आईएसबीटी तक विस्तार करने हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा मार्ग यूनियन के प्रतिनिधियों को सुना गया। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि उनके मार्ग का विस्तार पूर्व में प्राधिकरण द्वारा राजेन्द्र नगर–कनॉट प्लेस–धण्टाघर होते हुऐ रेलवे स्टेषन तक किया गया है। जिससे आईएसबीटी तक जाने वाले यात्रियों को सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। उन्होंने निवेदन किया कि उनके मार्ग का विस्तार रेलवे स्टेषन से आईएसबीटी तक किया जाय तथा लालपुल से महन्त इन्दरेष हास्पीटल होते हुऐ कारगी चौक तक का मार्ग परमिट से हटा दिया जाय, क्योंकि इस मार्ग की दषा बस संचालन करने योग्य नही है तथा मार्ग पर सवारियां भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।

कौलागढ–विधानसभा मार्ग में लालपुल से महन्त इन्दरेष हास्पीटल होते हुऐ कारगी चौक तक का मार्ग परमिट से काटने के लिये किये गये निवेदन के विरुद्व थाना कैन्ट–परेड ग्राउन्ड मार्ग यूनियन के पदाधिकारियों ने आपत्ति करते हुऐ कहा कि उक्त मार्ग कारगी क्षेत्र की जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुऐ बनाया गया है। अतः मार्ग में से इस भाग को काटना उचित नहीं है। मार्ग यूनियन द्वारा इस मार्ग का विस्तार रेलवे स्टेशन से लालपुल–सब्जीमंडी होते हुए आईएसबीटी तक करने के निवेदन किया है। परन्तु इस मार्ग पर पूर्व से ही राजपुर–क्लेमनटाउन–एमडीडीए–डाटमंदिर तथा सहस्रधारा–आईएसबीटी आदि नगर बस मार्ग की बसों का संचालन हो रहा है। इसके अतिरिक्त इस मार्ग पर विक्रम भी अधिक संख्या में संचालित हैं।

प्राधिकरण ने उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि मार्ग में से उपरोक्त प्रकार मार्ग काटने तथा बढाने के सम्बन्ध में संयुक्त सर्वेक्षण समिति से आख्या मांगी जाय, उसके पश्चात मामले को पुनः प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

संकल्प सं0–15

मद सं0–15 के अन्तर्गत डोईवाला केन्द्र से 25 किमी0 अर्धव्यास क्षेत्र के लिये विक्रम टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में डोईवाला केन्द्र से 328 विक्रम वाहनें संचालित हो रही हैं। प्राधिकरण ने डोईवाला केन्द्र के विक्रम वाहनों का संचालन रिस्पना पुल से आगे देहरादून शहर में प्रतिबन्धित किया गया है। इस सम्बन्ध में श्री दिनेष गोयल ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि डोईवाला के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये परमिट जारी किये जायें क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कोई यातायात सुविधा नहीं है। जबकि इस क्षेत्र में टिहरी विस्थापित क्षेत्र व इंडस्ट्रीएल एरिया विकसित होने से जनसंख्या में अत्यधिक वृद्वि हुई है। उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये विक्रम परमिट स्वीकृत करने का निवेदन किया है।

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण ने कार्यसूची के मद सं0–20 में उल्लिखित परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र सं0–3137/एसटीए/दस–2/10 दिनांक 06.10.10 का अवलोकन किया। इस पत्र में यह कहा गया है कि 25 किमी0 रेडियस के परमिट जारी होने पर निर्गत किये गये परमिटों में से किसी मार्ग पर अत्यधिक संख्या में वाहनें संचालित होती हैं, जबकि किसी दूसरे मार्ग पर आवष्यकता से कम वाहनें संचालित होती हैं। उन्होंने अपेक्षा की है कि, विक्रम वाहनों को जारी किये जाने वाले परमिट 25 किमी0 अर्धव्यास के स्थान पर मार्ग विशेष के लिये जारी किये जायें, ताकि प्रत्येक मार्ग पर जनता को यातायात सुविधा उपलब्ध हो सके।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि डोईवाला क्षेत्र में पडने वाले मार्गो को चिन्हित करके उनका सर्वेक्षण कराया जाय तथा सर्वेक्षण आख्या प्राप्त हो जाने के पश्चात मामले को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

संकल्प सं0–16

मद सं0–16 के अन्तर्गत श्रीमती सुरेन्द्र कौर के नाम पर हरिद्वार केन्द्र से जारी विक्रम टैम्पो परमिट सं0–3276 के विरुद्व धारा–86 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। श्रीमती सुरेन्द्र कौर ने सूचित किया है कि उन्होंने अपनी वाहन संख्या–यूपी10बी–1786 को दिनांक 07.09.2001 को श्री उमेद अहमद ज्वालापुर को बेच दिया था, परन्तु उनको ज्ञात हुआ है कि उनके परमिट पर वाहन संख्या–यूए08ई–9638 लगाई गई है तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनके परमिट पर वाहन संचालित की जा रही है। श्रीमती सुरेन्द्र कौर द्वारा की गई षिकायत पर सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) हरिद्वार द्वारा वाहन को थाना रानीपुर में बन्द कर दिया गया है। परमिट धारक श्रीमती सुरेन्द्र कौर को मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस सं0–2976/आरटीए/टैम्पो 3276/09 दिनांक 29.12.09 भेजा गया था, परन्तु प्राधिकरण के समक्ष बैठक में बुलाये जाने पर परमिट धारक अथवा उनके कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुऐ, जिससे यह प्रतीत होता है कि उनको अब उपरोक्त परमिट पर वाहन संचालन में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विक्रम टैम्पो परमिट संख्या–3276 को, जो हरिद्वार केन्द्र के लिये दिनांक 23.16.12 तक वैध है, को निरस्त किया जाता है।

संकल्प सं0–17

मद सं0–17 के अन्तर्गत श्री रईस अहमद के विक्रम टैम्पो परमिट सं0–2640 पर संचालित वाहन सं0–यूए07ई–2395 के विरुद्व श्री अमित कुमार जायसवाल द्वारा की गई शिकायत के सम्बन्ध में धारा–86 की कार्यवाही हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण द्वारा बुलाये जाने पर परमिट धारक तथा षिकायतकर्ता उपस्थित हुऐ। शिकायतकर्ता ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि परमिट धारक ने चालक द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में माफी मांगी है, अब उनको इस सम्बन्ध में परमिट धारक से कोई षिकायत नहीं है।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि भविष्य के लिये परमिट धारक को चेतावनी दी जाती हैं।

संकल्प सं0–18

संकल्प सं0–18 के अन्तर्गत श्री मोहन सिंह के नाम पर मार्ग सूची सं0–4 के लिये जारी स्थाई सवारी गाडी परमिट सं0–3143 पर संचालित बस सं0–एचपी38–3698 के चालक के विरुद्व श्री दुष्यन्त गोयल हरिद्वार द्वारा की गई षिकायत के सम्बन्ध में धारा 86 की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया है।

पुकारने पर परमिट धारक श्री मोहन सिंह की ओर से टीजीएमओसी कम्पनी के सचिव श्री जितेन्द्र नेगी तथा षिकायतकर्ता श्री दुष्यन्त गोयल प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए। श्री नेगी ने प्राधिकरण को

अवगत कराया कि दोनों वाहनों के चालकों के मध्य थाना बड़कोट में लिखित समझौता हो गया है। अब इस षिकायत पर कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह निर्णय किया गया कि दोनों पक्षों में समझौता हो जाने के फलस्वरुप अब मामले में कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में परमिट धारक के प्रतिनिधि के द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत करते हुय यह अवगत कराया गया कि वाहन की आयु सीमा 15+1 कुल (16 वर्ष की अवधि) की अनुमति है। प्राधिकरण के द्वारा आरटीओ देहरादून को परीक्षण करके आख्या प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।

संकल्प सं0–19 (अ)

इस मद के अन्तर्गत प्रर्वतन अधिकारियों द्वारा ओवरलोडिंग तथा अन्य परमिट शर्तों का उल्लंघन करते दूसरा चालान पाये जाने के फलस्वरूप परमिटों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.07.2003 में निर्णय लिया गया था कि ठेका परमिटो मैक्सी कैब/टैक्सी कैब परमिटो से आच्छादित वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग का अपराध पाए जाने पर द्वितीय अपराध में परमिट के निलम्बन की कार्यवाही की जाए। सचिव द्वारा ऐसे प्रकरणों को निलम्बन हेतु प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। बैठक में वाहन स्वामियों व यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा निवेदन किया गया है कि प्राधिकरण की बैठक काफी अन्तराल कें बाद होती है जिससे चालान का निस्तारण नहीं हो पाता है। चालान के निस्तारण न होने के कारण वाहन के प्रपत्र कार्यालय में जमा रहते हैं। यदि वाहन निरुद्ध होती है तो उस

स्थिति में आरटीए की बैठक होने तक मामले को लम्बित रखने से वाहन स्वामियों को अत्यधिक कठिनाईयां व हानि होती हैं।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि ओवर लोडिंग के अपराध में द्वितीय चालान होने पर प्रशमित करने के लिए सचिव को अधिकृत किया जाता है। सचिव ऐसे मामलों पर सामान्यतया देय प्रशमन शुल्क की दोगुनी धनराशि वसूल कर प्रशमित अथवा दो माह का निलम्बन करेंगे। वाहन के दो से अधिक चालान होने की दशा में प्रक्रिया यथावत रहेगी।

मद में उल्लेखित प्रकरणो पर निम्नानुसार कार्यवाही का निर्णय लिया गया है।

क0सं0	वाहन संख्या	परमिट संख्या	कार्यवाही व निर्णय
1.	यूए07बी–0131	यू–पीसीओपी–176	दो माह का निलंबन अथवा रु0 4000/– प्र0षु0
2.	यूए08–3272	ऑटो–4901	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
3.	यूके08टीए–0591	टैम्पो–2741	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
4.	यूपी11एल–8939	यू–पीसीओपी–786	तीन माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
5.	यूए08जे–8234	टैम्पो–3387	दो माह का निलंबन अथवा रु0 1500/– प्र0षु0
6.	यूए07एन–9510	पीएसटीपी–1158	दूसरे चालान के लिए एक माह का निलंबन अथवा रु0 24500/– प्र0षु0
7.	यूए07एन–7949	टैम्पो–1431	एक माह का निलंबन अथवा रु0 1000/– प्र0षु0

8	यूके07टीए–0109	मैक्सी–1295	दो माह का निलंबन अथवा रु0 4250/– प्र0षु0
9	यूपी07के–9026	टैम्पो–3781	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2500/– प्र0षु0
10	यूके07पीए–0314	पीएसटीपी–1922	दो माह का निलंबन अथवा रु0 6000/– प्र0षु0
11	यूके07टीए–0522	मैक्सी–1616	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
12	यूए08बी–9699	ऑटो–5379	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
13	यूए07पी–0921	टैम्पो–2524	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
14	यूए08जी–9976	टैम्पो–3334	दो माह का निलंबन अथवा रु0 10000/– प्र0षु0
15	यूके07सीए–1103	यू–पीसीओपी–975	दो माह का निलंबन अथवा रु0 8500/– प्र0षु0
16	यूके08टीए–0091	टैम्पो–3606	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
17	यूए07पी–714	यू–पीसीओपी–812	दो माह का निलंबन अथवा रु0 5000/– प्र0षु0
18	यूपी07एल–9329	टैम्पो–4043	दो माह का निलंबन अथवा रु0 9000/– प्र0षु0
19	यूके08टीए–0528	ऑटो–5468	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2500/– प्र0षु0

20	यूए07सी–8017	पीएसटीपी–1604	चार माह का निलंबन अथवा रु0 10000/– प्र0षु0
21	यूए07बी–3602	टैम्पो–1518	दो माह का निलंबन अथवा रु0 1500/– प्र0षु0
22	यूए07एफ–4554	टैम्पो–3019	दो माह का निलंबन अथवा रु0 1500/– प्र0षु0
23	यूए08–7633	ऑटो–5146	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2500/– प्र0षु0
24	यूके08टीए–0287	टैम्पो–1992	तीन माह का निलंबन अथवा रु0 3500/– प्र0षु0
25	यूए08–4537	ऑटो–5020	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2500/– प्र0षु0
26	यूके07टीसी–078	टैम्पो–3111	दो माह का निलंबन अथवा रु0 4750/– प्र0षु0
27	यूके07टीसी–0230	टैम्पो–1771	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
28	यूए07ए–5282	यू–पीसीओपी–643	चार माह का निलंबन अथवा रु0 4500/– प्र0षु0
29	यूए08एच–9278	टैम्पो–3067	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2500/– प्र0षु0
30	यूके07टीए–2832	ऑटो–4673	छः माह का निलंबन अथवा रु0 6000/– प्र0षु0
31	यूके07सीए–2584	यू–पीसीओपी–1089	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
32	यूके08टीए–0032	टैम्पो–4622	दो माह का निलंबन अथवा रु0 1500/– प्र0षु0

33	यूके07सीए–0286	यू–पीसीओपी–902	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2500/– प्र0षु0
34	यूए07एच–4449	यू–पीसीओपी–08	चार माह का निलंबन अथवा रु0 4500/– प्र0षु0
35	यूके07टीए–2283	टैम्पो–4317	दो माह का निलंबन अथवा रु0 1500/– प्र0षु0
36	यूके07टीए–0845	टैम्पो–4250	दूसरे चालान के लिए दो माह का निलंबन अथवा रु0 4000/– प्र0षु0
37	यूए07के–4885	टैम्पो–1435	दूसरे चालान के लिए दो माह का निलंबन अथवा रु0 2400/– प्र0षु0
38	यूए07एफ–7284	यू–पीसीओपी–127	चार माह का निलंबन अथवा रु0 4500/– प्र0षु0
39	यूए07के–4557	टैम्पो–3862	दो माह का निलंबन अथवा रु0 1500/– प्र0षु0
40	यूए07एफ–4230	टैम्पो–4468	एक माह का निलंबन अथवा रु0 1000/– प्र0षु0
41	यूपी07एफ–8545	पीएसटीपी–1163	आठ माह का निलंबन अथवा रु0 8000/– प्र0षु0
42	यूए08ए–0231	ऑटो'–5203	दो माह का निलंबन अथवा रु0 9250/– प्र0षु0
43	यूए07एन–6617	टैम्पो–3673	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
44	यूए07पी–9038	यू–पीसीओपी–741	दूसरे चालान के लिए दस माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0

संकल्प सं0–19 (ब)

इस मद के अन्तर्गत प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा ओवर लोडिंग तथा परमिट शर्तों का उल्लंघन करते पाये जाने पर दो से अधिक चालान होने के फलस्वरूप वाहनों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम 1998 की धारा 86 के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों पर निम्नवत् कार्यवाही की जाती है।

क्र0सं0	वाहन संख्या	परमिट संख्या	कार्यवाही व निर्णय
1.	यूए07एस–6051	टैम्पो–4054	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 7500/–
2	यूए07एम–2615	टैम्पो–1887	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 2500/–
3	यूके07टीए–3898	टैम्पो–4407	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 5000/–
4	यूए07एम–8867	टैम्पो–4403	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 10000/–
5	यूपी07जे–0166	टॅम्पो–333	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 10000/–
6	यूए07एल–4186	टैम्पो–436	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 10000/–

7	यूपी07एफ–4691	टैम्पो–4125	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 5000/–
8	यूके07टीए–3956	टैम्पो–4464	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 2500/–
9	यूए07–9991	यू–पीसीओपी–604	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 8000/–
10	यूके07सीए–1949	यू–पीसीओपी–973	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 10000/–
11	यूए07ए–4779	टैम्पो–4383	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 5000/–
12	यूके07टीए–0631	टैम्पो–4274	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 5000/–
13	यूके07टीए–0818	टैम्पो–1468	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 3000/–
14	यूपी07एल–9682	टैम्पो–4138	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 10000/–
15	यूए07–1136	टैम्पो–4417	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 8000/–
16	यूए07एस–9173	टैम्पो–353	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 8000/–
17	यूपी07जे–5024	टैम्पो–1492	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 8000/–
18	यूपी07जे–2422	टैम्पो–4579	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 2500/–

19	यूए07डी–5824	टैम्पो–1597	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 10000/–
20	यूए07ई–7379	यू–पीसीओपी–646	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 12000/–
21	यूए07क्यू–1366	टैम्पो–3628	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 8000/–
22	यूपी07एफ–5972	टैम्पो–1807	परमिट का निरस्तीकरण अथवा रु0 10000/–

संकल्प सं0–20

मद सं0–20 के अन्तर्गत नगर परिवहन सेवाओं के अन्तर्गत निर्गत किये जाने वाले परमिटों को क्षेत्र के स्थान पर मार्ग आधारित निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र सं0–3137/ एसटीए/दस–2/10 दिनांक 06.10.10 को विचार व आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस पत्र में यह कहा गया है कि समय–समय पर ऐसी षिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि देहरादून नगर में निर्गत किये गये परमिटों की संख्या से अधिक संख्या में विक्रम वाहनों का संचालन हो रहा है, इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया है कि किसी एक मार्ग पर अत्यधिक संख्या में वाहनें संचालित हो रही हैं, जबकि दूसरे मार्ग पर अपेक्षित संख्या में वाहनें संचालित नहीं है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि इसका मुख्य कारण यह है कि, विक्रम वाहनों को 25 किमी0 अर्धव्यास के लिये परमिट जारी किसे गये हैं, जिसके कारण वाहन स्वामी किसी भी मार्ग पर वाहन का संचालन करने के लिये स्वतन्त्र है और अर्धव्यास क्षेत्र के लिये परमिट होने के कारण उसके विरुद्व कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। उन्होंने अपने पत्र में यह कहा है कि मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 74 में किसी क्षेत्र/मार्ग के लिये कान्टेक्ट कैरिज परमिट जारी करने के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गई है। अतः सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण बैठक में इस बिन्दु पर विचार करते हुऐ क्षेत्र के लिये 25 किमी0 अर्धव्यास क्षेत्र के लिये जारी किये गये मार्ग परमिट में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में विचार कर कार्यवाही करें।

प्राधिकरण ने परिवहन आयुक्त के उपरोक्त पत्र का अवलोकन करने के पश्चात विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में देहरादून नगर के मार्गो का सर्वेक्षण कर आख्या मांगी जाय कि नगर के किन किन मार्गो पर कितनी

कितनी संख्या में विक्रम टैम्पो वाहनें संचालित हैं। यदि किन्हीं मार्गो पर विक्रम टैम्पो वाहनें संचालित नहीं हैं और इन मार्गो पर विक्रम टैम्पो वाहनें संचालित किये जाने की आवष्यकता हो, तो ऐसे मार्गो का भी सर्वेक्षण आख्या में उल्लेख किया जाय।

संकल्प सं0–21

अन्य मद, इस मद के अन्तर्गत अनुपूरक कार्य सूची में उल्लिखित मद संख्या 1 से 4 पर विचार किया गया।

संकल्प सं0–1(अनु0)

मद संख्या 1 अनुपूरक में थाना कैन्ट परेडग्राउण्ड मार्ग का विस्तार थाना कैन्ट से नींबूवाला–कौलागढ होते हुऐ ओएनजीसी चौक तक करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात आख्या प्रस्तुत की है कि मार्ग पूरा पक्का है तथा इसकी लम्बाई 2.2 किमी0 है, मार्ग पर 166 इंच व्हीलबेस की बसों के संचालन हेतु उपयुक्त है। नींबूवाला क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उन्होंने मार्ग का विस्तार करने की संस्तुति की है तथा यह भी संस्तुति की है कि जनता की सुविधा को देखते हुऐ मार्ग पर दोनों ओर से बस सेवायें चलाई जायें। इस मार्ग विस्तार के विरुद्व कौलागढ–विधानसभा बस यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा आपत्ति करते हुऐ कहा है कि उनके मार्ग की बसों को समुचित मात्रा में यात्री उपलब्ध नहीं होते हैं, जिस कारण से उनको पर्याप्त आय नहीं हो पाती है और चालक/परिचालक का वेतन भी निकालना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार मार्ग विस्तार करने से उनके मार्ग की बसों को आर्थिक हानि होगी तथा वे फाइनेन्स से लिये गये ऋण की अदायगी नहीं कर पायेंगे।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि क्षेत्रीय जनता द्वारा थाना कैन्ट–परेड ग्राउन्ड मार्ग की बसों को नींबूवाला होकर चलाये जाने के सम्बन्ध में अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुऐ हैं, इसलिये जनहित को ध्यान में रखते हुऐ उपरोक्त मार्ग का विस्तार थाना कैन्ट से नींबूवाला–कौलागढ रोड होते हुऐ ओएनजीसी चौक तक करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संकल्प सं0–2(अनु0)

मद सं0–2(अनु0) के अन्तर्गत डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी मार्ग का विस्तार दिलाराम बाजार से अजन्ता होटल तक करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पश्चात आख्या प्रस्तुत की है कि डी0एल0रोड जाने के लिये बसें मधुबन होटल के सामने से मुड़ती हैं, जहॉ पर बसों के मुडने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है, जिससे जाम लगता रहता है। अजन्ता होटल के पास बसों के मुडने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। उन्होंने डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी मार्ग का विस्तार दिलाराम बाजार से अजन्ता होटल तक करने की संस्तुति की है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि डी0एल0रोड–डिफेन्स कालोनी मार्ग का विस्तार दिलाराम बाजार से अजन्ता होटल तक करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संकल्प सं0–3(अनु0)

मद सं0–3(अनु0) के अन्तर्गत हरिद्वार केन्द्र से सात आटो रिक्शा परमिट जारी करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि इस मामले को आगामी बैठक के लिये स्थगित किया जाता है।

संकल्प सं0–4(अनु0)

मद सं0–4(अनु0) में पर्वतीय मार्गो पर संचालित बसों के मापदण्डो में संशोधन करने के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03.07.10 के संकल्प सं0–08 द्वारा लिये गये निर्णय को विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा संशोधित मापदण्ड निम्न प्रकार हैं–

(1)देहरादून–मंसूरी मार्ग पर संचालित बसो हेतु पूर्व मे निर्धारित व्हीलबेस 190 इंच के स्थान पर 195 इंच व्हीलवेस अनुमन्य किया जाता है ।

(2) उत्तराखण्ड के सभी सम्भागो के पर्वतीय मार्गो पर संचालित बसों की अधिकतम चौडांई 234 से0मी0 के स्थान पर 250 से0मी0 अनुमन्य की जाती है ।

(3) प्रदेश के सभी सम्भागो के पर्वतीय मार्गो पर संचालित बसों के लिये पूर्व में ओवर हैंग 50 प्रतिशत निर्धारित है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) ऋषिकेश द्वारा पूर्व में निर्धारित ओवरहैंग को मार्गो की दशा में सुधार के दृष्टिगत 50 के स्थान पर 60 प्रतिशत ओवरहैंग करने हेतु दिये गये सुझावों एवं अतिरिक्त निदेशक, परिवहन प्रबन्धक निदेषालय हिमाचल प्रदेश शिमला के पत्र सं0–12–1(480) Misc, corresp/2006-vol-ii.24504 दिनांक 05.07.10 द्वारा प्राप्त आख्या पर गम्भीरता से विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के सभी सम्भागों के पर्वतीय मार्गो पर पूर्व में निर्धारित 50 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिषत इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किया जाता है, कि वाहन स्वामी द्वारा मूल चैसिस में परिवर्तन नहीं किया जायेगा और अतिरिक्त जोड लगाकर चैसिस को बढाकर 60 प्रतिशत नहीं किया जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय को देहरादून सम्भाग में भी लागू किया जाय।

श्री विजेन्द्र भण्डारी,
सदस्य।
मसूरी, देहरादून।

श्री अजय सिंह नबियाल
अध्यक्ष।
आई0ए0एस0
आयुक्त, गढ़वाल मंडल।